

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 सितंबर, 2013

संख्या Z/12/2013/RF2 — हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 214 के साथ पठित धारा 200 के खण्ड (भूभम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या Z/12/2013/R2, दिनांक 2 सितंबर, 2013 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित उपविधियां बनाते हैं, अर्थात् :-

उपविधियां

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) ये उपविधियां हरियाणा नगरपालिका (संचार तथा संयोजन अवसंरचना) उपविधियां, 2013 कही जा सकती हैं।
- (2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगी।

परिभाषाएं

2. इन उपविधियों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24);
- (ख) "परिशिष्ट" से अभिप्राय है, इन उपविधियों से संलग्न परिशिष्ट;
- (ग) "आवेदक" से अभिप्राय है, संचार तथा संयोजन अवसंरचना डालने के लिए दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के पारद रजिस्टर्ड संचार अवसंरचना प्रदायक या दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से अनुज्ञाप कोई तैलोकाम सेवा प्रदायक तथा अनुज्ञापिारी जो इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञप्ति मांगने के लिए पात्र है;
- (घ) "बकाया" से अभिप्राय है, शक्ति जो आवेदक इन उपविधियों की अधिसूचना से पूर्व दिखाई गई/निर्मित संचार अवसंरचना के लिए राज्य विकास अभिकरण को भुगतान के लिए दायी है;
- (ङ) "केबल" से अभिप्राय है, आवृत जैकेट के भीतर एक या अधिक इन्सुलेटेड कंडक्टर या आर्टिकल फाईबर का समुच्चय या दोनों का संयोजन जो भूमि के नीचे या ऊपर लटकी हो सकती है तथा यह संप्रेषित डाटा/सूचना के लिए उच्च गति भौतिक माध्यम है;
- (च) "संचार अवसंरचना" में शामिल है, डिजा एन्टीना, आर्टिकल फाईबर केबल, ग्राउंड बेसड मारट/रूफ टोप मारट, मोबाइल तथा संचार टावर तथा अन्य सम्बद्ध अवसंरचना;
- (छ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, सम्बन्ध जिले का सपायुक्त;
- (ज) "नाम निर्दिष्ट संस्था" से अभिप्राय है, तथा इसमें शामिल है, -
 - (i) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था;
 - (ii) वीन्दीव निर्माण अनुसंधान संस्था, रुडकी;
 - (iii) रेल इण्डिया तकनीकी तथा आर्थिक सेगमें लिमिटेड;

- (iv) भवन सामग्री राष्ट्रीय परिषद्, फरीदाबाद;
- (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था, कुरुक्षेत्र;
- (vi) पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय, चण्डीगढ़;
- (श) "डिश एन्टीना" या "डिश" से अभिप्राय है, एन्टीना या कोई अन्य ढंग जो प्रसारण, श्रवण, स्थान संचार या रेडियो संप्रेषण के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा भाईब्रोवेय प्रणाली में सामूहिक है। डिश धातु या फाईबर ग्लास की हो सकती है, किन्तु इसमें डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) स्कीम के अधीन स्थापित डिश एन्टीना तथा टी.वी. के लिए प्रयुक्त डिश शामिल नहीं हैं;
- (ज) "ग्रैंड वेसड मार्ग (जी.बी.एम.)/रफ टोप मार्ग (आर.टी.एम.)" से अभिप्राय है, संचार टावर जिसमें एन्टीना (बिना डीजल जनरेटर तथा उपकरण कक्ष) के रूप में सम्पूर्ण संरचना, कृत्य शामिल है;
- (ट) "अनुज्ञाति" से अभिप्राय है, रास्ता अधिकार/उपयोग अधिकार प्रयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति;
- (ठ) "चल संचार टावर" से अभिप्राय है, मोबाईल सेल स्थल जिसमें सैल्यूलर नेटवर्क के भाग के रूप में अभिकल्पित ट्रक या ट्रेलर पर तैयार सैल्यूलर एन्टीना तथा उपकरण शामिल हैं;
- (ड) "नोटल अधिकारी" से अभिप्राय है, नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिका समिति का सचिव, जैसी भी स्थिति हो;
- (ढ) "उपयोग अधिकार" से अभिप्राय है, रास्ता अधिकार/सेवा / स्थान के उपयोग के लिए अनुमति;
- (ण) "रास्ता अधिकार" से अभिप्राय है, दो सभ्यतियों की लाइन के बीच स्थान;
- (त) "राज्य विकास अतिकरण" से अभिप्राय है, नगर परिषद या नगरपालिका समिति।

निषेध

3. इन उपविधियों के अधीन कोई भी संचार अवसंरचना नगरपालिकाओं के क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञाति प्राप्त किये बिना बिछाई/स्थापित नहीं की जायेगी।

आवेदन की प्रस्तुति तथा अवसंरचना विकास

4. (1) संचार अवसंरचना बिछाने हेतु अनुज्ञाति मांगने के लिए गैर अनन्य आधार पर आवेदन आवेदक द्वारा नोटल अधिकारी जिसको अधिकारिता में क्षेत्र में आता है, को परिशिष्ट क में दिनांकित सभी व्यौरों तथा दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाएगा। नोटल अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि :

- जहां तक सम्भव हो, प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्मित खम्बों पर ऊपरी केबल को डालने के लिए कोई स्कीम केवल अत्रिादिक मामलों में अनुज्ञाति की जाएगी जैसा कि यह इको-प्रणाली के सौन्दर्य में बाधा डालने से अलग ऊपरी विद्युत वितरण प्रणाली में बाधा डालने की ओर ले जाती है।
- आवेदक संचार अवसंरचना को बिछाने के लिए उनके विकास कार्य के भाग के रूप में अपेक्षित विशिष्टियों (नलिका सहित या के बिना) के अनुसार आन्तरिक सड़क परिचालन नेटवर्क के साथ-साथ पूर्व-परिभाषित स्लट संरक्षण चिह्नित करेगा ताकि भविष्य में केवल बिछाने के लिए अनुज्ञाति मांगने वाले अवसंरचना प्रदन्धक बार-बार थुदाई करने से बच सके तथा/या अवसंरचना को सूकर बना सकें।
- पहले ही बिछाई गई/स्थापित की गई संचार अवसंरचना में हिरसा करने का इच्छुक आवेदक सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से परिशिष्ट ख में यथावर्णित राशि जमा करने के बाद ऐसा कर सकता है।
- परिशिष्ट क के अनुसार न होने के कारण अधूरा आवेदन कार्यवाही में नहीं लिया जाना है तथा पुराने अस्वीकृत कर दिखा जाएगा।

(2) नगरपालिका उनकी विकास योजना के भाग के अनुसार पर्याप्त चौड़ी पट्टी क्षमता/अत्यधिकता सहित नलिका मुहैया करा सके तथा अस्टिकल फाईबल केबल बिछा सके, जो आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अदधारित आवर्ति प्रभार आधार पर पट्टे पर दी जा सकती है।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

5. अनुज्ञप्ति को देने के लिए शर्तें निम्न अनुसार हैं—

- (i) अनुज्ञप्ति अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के अधधीन आवेदन की गई अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है। यह अवधि आगे आवेदक तथा स्वामी के बीच भूमि या/और भवन के लिए किए गए पट्टा कशर की पट्टा अवधि के जो-टर्मिनस होगी;
- (ii) यदि चल संचार अवसरचना के लिए प्रदान की गई है, तो यह इन उपविधियों में दी गई सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए जनता को संचार सुविधा मुहैया कराने के लिए विशिष्ट अपेक्षा के विरुद्ध उरा घटना जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है या अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए है, के साथ जो-टर्मिनस होगी;
- (iii) यह अनुज्ञप्ति हस्तान्तरण योग्य नहीं होगी तथा केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होगी जिसके लिए यह दी गई है;
- (iv) अनुज्ञप्तिधारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इस अनुज्ञप्ति के लिए हकदार है। अनुज्ञप्तिधारी को परिसम्पत्ति/सम्पत्ति का आगे अन्तरण/विलयन/अर्जन या अन्तरण के किसी अन्य रूप के मामलों में, अनुज्ञप्ति की हकदारी अन्तरित के रूप में नहीं मानी जायेगी;
- (v) यह किसी भी रीति में उसमें स्पष्ट रूप से दी गई से विन्म संचार अवसरचना के लिए प्रयुक्त भूमि या सारंचना के सम्बन्ध में किसी स्वायत्त या शाश्वत अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना नहीं समझा जाएगा।
- (vi) अनुज्ञप्ति के किन्हीं विबन्धन तथा शर्तों की उल्लंघना के मामले में, सक्षम प्राधिकारी पन्द्रह दिन अवधि के भीतर उल्लंघना को सुधारने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को तामिल किया जाने वाला नोटिस देगा। सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है यदि अनुज्ञप्तिधारी कारण बताओ नोटिस में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उल्लंघना का समझान नहीं करता। अनुज्ञप्ति के रद्दकरण पर, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे रद्दकरण से हुई किसी हानि की दायित्वपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा;
- (vii) कोई अन्य शर्त जो सक्षम प्राधिकारी लोकटिन में आवश्यक समझे।

आवेदन की प्रक्रिया

6. प्रत्येक आवेदन नोडल अधिकारी द्वारा विधिवत संश्लिषित किया जाएगा जो आवेदक से ऐसी अतिरिक्त सूचना मांग सकता है जैसा आवश्यक समझे। उक्त आवेदन की प्रक्रिया के समय नोडल अधिकारी निम्नलिखित को विचार में लेगा, अर्थात् :-

- (i) वर्तमान अवसरचना सेवा, उनकी सुरक्षा, प्रदर्शन तथा सड़कों को चौड़ा करने की आगाभी अपेक्षाएं या सेवा की वृद्धि यदि प्रस्तावित रूट संरेखण पहले डाली गई किसी सेवा में बाधा डालता है, तथा यह अनुज्ञप्तिधारी की लागत पर ऐसी सेवाएं रिज/पुनः पंक्तिबद्ध करने के लिए सम्भव है या अनुज्ञप्तिधारी सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए अपनी लागत पर ऐसा पुनः संरेखण करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे विचारा जा सकता है तथा अनुज्ञप्ति किय जा सकता है;
- (ii) प्रस्तावित संरेखण रूट/स्थल से सन्तुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी या यदि ऐसा रूट परस्पर करार के माध्यम से अधारित किया गया है तथा निपटाया गया है तथा समच अनुसूची सहित विभाग प्रस्तावित कार्य निष्पादित/सम्पादित किया जाना है, तो इस निमित्त निष्पादित किये जाने वाले कशर सटित आशय का पत्र तथा इसके प्रयोजन के लिए प्रणार, उस्ता अधिकार/उपयोग अधिकारी प्रभार (मैसजर्न भारत ब्रण्ड बैंड नैटवर्क लिमिटेड के सिवाए), भूमि के प्रयोग के लिए पट्टा प्रभार तथा परिशिष्ट ख में विनिर्दिष्ट व्यौरों के अनुसार स्थल के सन्तोषजनक मुरगत के लिए वापसी योग्य प्रतिभूति के रूप में कर्ष बैंक गारन्टी की मांग का मांग नोटिस जारी किया जाएगा।

- (iii) आशय पत्र जारी करने पर, आवेदक तीस दिन के भीतर नोडल अधिकारी को सभी लागू प्रमाणों सहित परिशिष्ट ड के अनुसार करार प्रस्तुत करेगा।
- (iv) क्योंकि आशय पत्र धारक प्रलेखन पूरे करता है तथा कार्य बैंक गारंटी सहित सभी सम्बन्धित प्रमाण जमा कर देता है, तो सक्षम प्राधिकारी अवसररचना कार्य का निष्पादन प्रारम्भ करने के लिए अनुज्ञापिधारी को सगर्थ बनाने हेतु पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आवेदक के पक्ष में करार करेगा तथा अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

आवेदन पर निर्णय के लिए समय—सीमा

7. सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा को पालन करेगा, अर्थात् :-

| क्रम संख्या | घटना | कार्य दिवसों की संख्या |
|-------------|---|---|
| (i) | सम्पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से आवेदन की प्रक्रिया तथा अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, मांगना | 45 दिन |
| (ii) | आशय पत्र जारी करना या उसके कारणों सहित आवेदन की अस्वीकृति | 15 दिन |
| (iii) | आशय पत्र की शर्तों का अनुपालन | 30 दिन |
| (iv) | करार का निष्पादन तथा अनुज्ञप्ति जारी करना | आशय पत्र धारक से कागजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन |

अवसररचना कार्य को पूरा करने के लिए समय—सीमा

8. अवसररचना कार्य विधान/निर्वादन करते समय निम्नलिखित का पालन किया जाना आवश्यक है :-

- (i) अनुज्ञापिधारी समय-क्रम प्रस्तुत करेगा जिसके भीतर वह अवसररचना कार्य का निष्पादन करने की योजना बनाता है। कथित योजना सम्पूर्ण योजना सहित विस्तार वार सम्पादन अनुसूची मुहैया कर सकते हैं;
- (ii) अनुज्ञापिधारी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी असुविधा इसके प्रचालन की कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में साधारण जनता को न हो। यदि आवश्यक पाया जाता है, तो नोडल अधिकारी अनुज्ञापिधारी को आफ-पीक समय के दौरान या रात के दौरान कार्य का निष्पादन करने के लिए निर्देश दे सकता है;
- (iii) अनुज्ञापिधारी मासिक आधार पर प्रगति के बारे में विधिवत सूचना नोडल अधिकारी को देगा जो नियमित अन्तरालों पर पुनरीक्षित की जा सकती है; तथा
- (iv) जब कभी अनुज्ञापिधारी बताई गई समय-सीमा में सम्बन्धित कार्य निष्पादित नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञापिधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अनुज्ञप्ति प्रतिस्तरण कर सकता है। तथापि, जहां अनुज्ञापिधारी प्रमाणित करने में समर्थ है कि कोई ऐसा विलम्ब उनके नियन्त्रण से बाहर कारण से है, तो सक्षम प्राधिकारी निष्पादन अवधि बढ़ा सकता है तथा कार्य परस्पर सम्मत समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।

कार्य का निष्पादन

9. अनुज्ञापिधारी निम्नलिखित का कड़ाई से अनुसरण करते हुए संघर्ष अवसररचना निष्पादित करेगा, अर्थात् :-

- (i) परिशिष्ट-ग में विनिर्दिष्ट तकनीकी मानक तथा पैरामीटर;

- (ii) भारत सरकार/राज्य सरकार के सम्बन्धित मार्गदर्शनों के अनुसार लागू सभी सुरक्षा मापकों का अनुसरण करेगा। आगे, अनुज्ञापिकाारी सुनिश्चित करेगा कि संचार अवसंरचना समय-समय पर टैलीकाम विभाग, भारत सरकार या भारत का टैलीकाम विनियामक प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा यथा विहित विद्युत मैग्नेटिक क्षेत्र (ई.एम.एफ.) विकिरण मानक सभी समयों पर अनुरूप हों।
- (iii) कोई भी ग्राउंड बेसड भास्ट /रफ टोप भास्ट या संचार/मोबाईल टावर लगाया जाना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक संरचना स्थिरता/सुरक्षा प्रमाण पत्र आवेदन की प्ररतुति तथा कार्य सम्पादन के समय दोनों में से किसी एक निर्दिष्ट संस्था से प्राप्त नहीं करता है।

अनुज्ञाति के बिना लगाई गई अवसंरचना

10. (1) इन उप-विधियों के प्रारम्भ की तिथि से, कोई संचार अवसंरचना पहले ही लगाई गई है जिसके लिए अनुज्ञाति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई है, तो सेवा प्रबन्धक ऐसी अप्राधिकृत संयोजित कार्यवाई जिसके लिए वह प्रशमन फीस भुगतान करने के लिए दायी होगा, करों के लिए राजपत्र में इन उपविधियों के प्रकाशन की नब्बे दिनु की अवधि के भीतर तुरन्त संचार अवसंरचना हटायेगा या अनुज्ञाति के लिए आवेदन करेगा, जो नगरपालिका को देय बकाया, यदि कोई हो, सहित परिशिष्ट-ख में यथा विनिर्दिष्ट लागू प्रभाशों के पचास प्रतिशत की दर से संगणित की जाएगी, जो कि शर्त के अधधीन होगी कि ऐसी संचार अवसंरचना इन उप-विधियों की शर्तों को पूरा करती है। जहां कहीं कोई परिशोधन इस प्रक्रिया में अपेक्षित हैं, तो वह ऐसे परिशोधन करने के लिए तीस दिनु की अवधि देगा।

(2) यदि आवेदक आवेदन नहीं करता है या संचार संरचना नहीं हटाता है, तो उसको कारण बताने के लिए बुलायेगा कि वदों न उसके विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाई की जाए। यदि आवेदक कारण बताने में असाफल होता है या दोषनिवारक उपाय करता है, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे सेवा प्रबन्धक के खर्च पर अप्राधिकृत संचार संरचना हटाने के लिए कार्यवाही करेगा।

क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र

11. आवेदक सभी समयों पर कार्य के निष्पादन की प्रक्रिया में जीवन या सम्पति की किसी हानि के विरुद्ध या ऐसी संचार अवसंरचना के प्रसोदन तथा अनुरक्षण की अवधि के दौरान के बाद किसी दावे के विरुद्ध नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करेगा। आवेदक उचित रूप से स्टांभित गैर-न्यायिक स्टांभ पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा।

अतिरिक्त सामूहिक सामाजिक जिम्मेवारी

12. सक्षम प्राधिकारी सामूहिक सामाजिक जिम्मेवारी के सिद्धान्तों को प्रोत्साहन में परिशिष्ट घ के अनुसार कुछ सामाजिक जिम्मेवारी करने के लिए अनुज्ञापिकाारी को प्रोत्साहित करेगा तथा चकसायेगा। तथापि ऐसे किसी सूक्ष्मात को परस्पर सम्मत तथा निर्णीत किये जा सकते हैं जिसके लिए कोई अवपीडक रीति लागू नहीं होगी।

निरसन

13. हरियाणा नगरपालिका (केबल बिछाने तथा डिश एन्टीना का निर्माण) उप-विधियां, 2007 तथा हरियाणा नगर पालिका (संचार टावरों का निर्माण) उप-विधियां, 2009, इसके द्वारा निरसित की जाती है :

परन्तु इस प्रकार निरसित की गई उप-विधियों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाई इन उप-विधियों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट - क

[देखिए उपविधि 4(1)]

आवेदन प्ररूप

(आवेदक द्वारा उराफे लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जाना है)

सन्दर्भ संख्या :

सेवा में

विषय :- हरियाणा नगरपालिका (संधार तथा संयोजन अवसररचना) उप-विधियां, 2013 के अधीन अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में।

अनुज्ञप्ति के लिए किया गया आवेदन :
 आवेदक कम्पनी का नाम :
 रजिस्ट्रेशन संख्या :
 पता :
 दूरभाष संख्या :
 मोबाईल संख्या :
 फैक्स :
 ई-मेल आई.डी. :

मैं/हम इसके द्वारा _____ (अवस्थिति / मार्ग का नाम तथा ग्यारे) में मृत्ति के नीचे केबल/माईक्रो ट्रेचिंग / ऊपर केबल/ ग्राफ़्ट बेराट मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाईल/चल/संचार टावर/संचार अवसररचना के हिस्से के लिए खम्बों के निर्माण हेतु कार्य करने की अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रार्थना करता हूँ/करते हैं।

इस आवेदन के हस्ताक्षरी को जारी किया गया बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामा इसके साथ संलग्न है।

आगे हम उपविधियों में अधिकथित सभी निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।

इसलिए उपरोक्त वर्णित कार्य करने की अनुज्ञप्ति देने का अनुरोध किया जाता है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

(नाम तथा पता)

आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- सभी मामलों में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं :-
 - संचार अवसररचना प्रबन्धक या दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रधान संचार सेवक प्रबन्धक के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति;
 - संधार अवसररचना जिराके लिए अनुज्ञप्ति मंजी जा रही है, की अवस्थिति स्पष्ट रूप से सूचित करते हुए प्रस्तावित रूट अभिन्धास योजना ड्राईंग के दो सेट;

- (iii) कार्य तथा निवेश के विष्ठादन के लिए समय-सारणी (वित्तर तथा स्टेज चार);
- (iv) नगरपालिका क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र
- (क) किसी कारण से आवेदक द्वारा वर्तमान अवसररचना से हुई हानि के लिए किसी दायित्व के विरुद्ध; तथा
- (ख) खाली गई अवसररचना/स्थापित की गई सुविधाओं के कारण किसी दुर्घटना के विरुद्ध दावे या सभी समयों पर ऐसी अवसररचना के प्रचालन तथा अनुरक्षण की अवधि के दौरान उसके बाद किसी दावे के विरुद्ध;
- (v) सक्षम प्राधिकारी को परिशिष्ट-ख में यथा विनिर्दिष्ट लागू सभी प्रणालियों तथा कार्य बैंक गारंटी भुगतान करने की सहमति;
- (vi) प्रचालन तथा अनुरक्षण अवधि के दौरान सभी समयों पर अच्छी तथा सुरक्षित अवस्था में अवसररचना सुविधाओं को बनाए रखने की सहमति;
- (vii) सक्षम प्राधिकारी के साथ करार करने की सहमति;
- (viii) जन सेवाओं जैसे कि सड़कों को चौड़ा करने, पैदल पथ, जल आपूर्ति तथा वितरण नेटवर्क, मल निकास/जल निकास नेटवर्क इत्यादि, की वृद्धि के लिए क्षेत्र की अपेक्षाओं की धटना में उनकी अपनी लागत पर खम्बे/डिश एन्टीना/मोबाइल/संचार टावर/ग्राऊंड बेराड मारट/रूफ टोप मास्ट के संचार नेटवर्क पुनः प्रसारण/पुनः पंक्तिबद्ध/पुनः स्थापित करने के लिए सहमति;
- (ix) अनुज्ञप्ति देने के निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करने तथा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार या भारत के संचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विहित विवरण मानकों की पालना करने की सहमति.
2. भूमिगत आर्टिक फाईबर/को-एक्सिजल केबल (उपरोक्त कुल संख्या 1 पर सूचीबद्ध के अतिरिक्त) बिछाने के लिए दस्तावेज:
- (i) होरीजनटल डारैक्शनल ड्रिलिंग/गार्डको ट्रेनिंग का प्रयोग करने के लिए अधिमान सहित केबल (होरीजनटल डारैक्शनल ड्रिलिंग)/होरीजनटल बोरिंग डंग/माइक्रो ट्रेनिंग या खुली खुदाई करने) विधानों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकी/डंग;
- (ii) भूमि पट्टे पर ली जाने के लिए प्रस्तावित भूमि पर किसी संरचना (मेनहोल/बोक्स/टावर/ग्राऊंड बेराड मारट/रूफ टोप मारट इत्यादि) के लिए अपेक्षित विशिष्ट क्षेत्र ब्यौरे (वर्ग फुट या वर्ग मीटर में);
- (iii) आर्टिक फाईबर केबल तथा अन्य संचार उपकरण/संरचना बिछाने के लिए रास्ता अधिकार/उपयोग अधिकार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का परिभाष (गहराई, लम्बाई तथा चौड़ाई);
3. ऊपरी संचार केबलों के लिए खम्बों के निर्माण के लिए दस्तावेज (उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर सूचीबद्ध के अतिरिक्त):
- (i) भूमि पट्टे पर ली जाने के लिए प्रस्तावित भूमि पर खम्बों तथा संयोजन बोक्स के निर्माण के लिए अपेक्षित विशिष्ट क्षेत्र ब्यौरे (वर्ग फुट या वर्ग मीटर में);
- (ii) नगर नक्शे पर चिह्नित ब्यौरे - (क) प्रस्तावित रूट, (ख) खम्बों की संख्या, (ग) खम्बों का परिमाण (ऊंचाई, मोटाई/व्यास); (घ) प्रत्येक खम्बे के बीच दूरी, तथा (ङ.) केबल के लिए न्यूनतम भूमि समशोधन।
4. डिश एन्टीना की स्थापना के लिए दस्तावेज (उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर सूचीबद्ध के अतिरिक्त):
- (i) डिश एन्टीना/पैनल बोक्स/डिश/निरीक्षण बाक्स/संयोजन बाक्स की प्रस्तावित अवस्थिति नगर नक्शे पर विधिवत् चिह्नित;

- (ii) स्थल/परिसर का स्वामित्व दरतावेज या पट्टा विलेख, जिस पर डिश एन्टीना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है;
- (iii) नाम निर्दिष्ट संस्था से संरचना सुरक्षा प्रमाण-पत्र।
5. ग्राऊंड बेसड मास्ट /रूफ टोप मास्ट/संचार/मोबाईल टावर के निर्माण के लिए दस्तावेज (उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर सूचीबद्ध के अतिरिक्त)
- (i) प्रत्येक मामले में परिमाण सहित पट्टे पर ली जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के अनुसार मेनहोल, ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/संचार/मोबाईल टावर के लिए अपेक्षित विशेष क्षेत्र व्यौरे (वर्ग फुट या वर्ग मीटर में) सूचित करते हुए स्थल योजना की प्रतियां;
- (ii) अधिमानतः ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रीडिंग/मूल्यों सहित रूट नक्शे पर विधिवत विहित ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट /संचार/मोबाईल टावर की अवस्थिति;
- (iii) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के वेतार योजना तथा समन्वय विंग (डब्ल्यू.पी.सी.) द्वारा जारी उक्त अवस्थिति के लिए प्राधिकृत आर्बंटन के लिए स्थाई परामर्श समिति (एस.ए.सी.एफ.ए.) से अनुमोदन/समाशोधन की असली प्रति;
- (iv) स्थल का स्वामित्व दस्तावेज या पट्टा विलेख जिस पर ग्राऊंड बेसड मास्ट /रूफ टोप मास्ट /संचार/मोबाईल टावर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है;
- (v) भारत के हवाईपतन प्राधिकरण या कोई रक्षा स्थापना से अनुमति की असली प्रति यदि ग्राऊंड बेसड मास्ट /रूफ टोप मास्ट /संचार/मोबाईल टावर की जंचाई के लिए ऐसा अनुमोदन/समाशोधन अपेक्षित है;
- (vi) यदि संचार/मोबाईल टावर किसी छत के ऊपर निर्मित किया जाना है, तो भवन के स्वामी के साथ करार तथा नाम निर्दिष्ट संस्था से संरचना सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति;
- (vii) सम्पूर्ण व्यौरों सहित टावरों की संरचनात्मक ड्राइंग के दो सेट जिसमें संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित नींव की विशिष्टियां, डिजाइन पैरामीटर, परिमाण तथा निर्माण की किस्म शामिल हैं;
- (viii) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा यथा विहित विकिरण उत्सर्जन मानकों के पालन का प्रमाण-पत्र;
- (ix) सेवा/अवसंरचना प्रबन्धक के नाम वाली डाटा शीट;
- (x) मोबाईल टावर के मामले में टावर या एन्टीना की मेगावाट में क्षमता;
- (xi) सहमति कि संचार/मोबाईल टावर स्थलों/बल मोबाईल टावरों पर लगाए गए जरनेटर सेट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विहित शोर तथा उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हैं;
- (xii) सहमति कि आवेदक ने अग्नि सुरक्षा, प्रकाश इत्यादि के लिए सभी सावधानियां बरती हैं तथा क्षेत्र के सम्बद्ध अग्नि कार्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा।

परिशिष्ट - ख

[देखिए उपविधि 4(1)(iii) तथा 6(ii)]

प्रभारों की अनुसूची

फीस/प्रभारों के उद्ग्रहण के लिए राज्य को विभिन्न जोंनों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अंचल का भाग रूप बनने वाले क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :-

| उच्च सम्भाव्य जोन | मध्यम सम्भाव्य जोन | कम सम्भाव्य जोन |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| सेनीपत | कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, पलवल, होडल, रेवाड़ी, धारुहेड़ा, बावल | राज्य में सभी अन्य नगरपालिका क्षेत्र |

प्रभार:

(i) प्रक्रिया फीस

ग्राऊंड बेसड मास्ट / रूफ टोप मास्ट / मोबाइल तथा संचार टावर / चल संचार टावर / डिश एन्टीना के मामले में प्रक्रिया फीस 1000/- ₹ प्रति टावर की दर से प्रभारित की जाएगी तथा भूमिगत केबल या ऊपरी केबल (माईक्रो ट्रेंचिंग) के मामले में 2/- ₹ प्रति रूट मीटर होगी।

(ii) रास्ता अधिकार/उपयोग अधिकार प्रभार:

संचार अवसंरचना के लिए अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रभार नीचे तालिका में दी गई दरों पर भुगतानयोग्य होंगी। ये प्रभार बीस वर्ष की अवधि के लिए या अनुज्ञप्ति की अवधि, जो भी निम्नतम हो, के लिए केवल एक मुश्त (वन टाईम) भुगतानयोग्य होंगे। आवेदक को ऐसे समय पर लागू दरों पर प्रारम्भिक अनुज्ञप्ति की अवधि के समापन पर या बीस वर्ष की अवधि के समापन पर, जो भी पहले हो, ऐसे नए एक मुश्त प्रभारों का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

पथ रास्ता /उपयोग अधिकार की अनुज्ञप्ति के लिए प्रभार (₹ में)

| क्रम संख्या | प्रयोजन | जोन | | |
|-------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------|
| | | उच्च सम्भाव्य जोन | मध्यम सम्भाव्य जोन | कम सम्भाव्य जोन |
| 1. | माईक्रो ट्रेंचिंग के सिवाय भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल/को-एक्सियल केबल (प्रति रूट मीटर) को डालने | 80/- | 65/- | 50/- |
| 2. | खम्बों का प्रयोग करते हुए ऊपरी संचार केबल बिछाने के लिए | 35/- | 25/- | 25/- |
| 3. | केन्द्र से केन्द्र तक 100 मीटर के स्थान सहित मेनहोल से भिन्न प्रत्येक शोधों गए गड्डे के लिए (वर्ग मीटर में) | 750/- | 600/- | 500/- |
| 4. | डिश एन्टीना (डी.टी.एच. के अधीन लगाया गये डिश एन्टीना से भिन्न) | 5000/- प्रति डिश एन्टीना | | |
| 5. | ऊपरी संचार केबल (प्रति खम्बा) डालने के लिए निर्मित प्रत्येक खम्बे के लिए | 1500/- | 1500/- | 1000/- |
| 6. | ग्राऊंड बेसड मास्ट /रूफ टोप मास्ट का निर्माण (प्रति स्थल) | 75,000/- | 50,000/- | 25,000/- |
| 7. | मोबाइल/संचार टावरों का निर्माण (प्रति स्थल) | 2,00,000/- | 1,50,000/- | 1,00,000/- |
| 8. | यदि भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल/को-एक्सियल केबलों में हिस्सा किया गया है। (प्रति हिस्सा प्रति रूट मीटर) | 20/- | 20/- | 10/- |
| 9. | यदि मोबाइल/संचार टावरों में हिस्सा किया गया है (प्रति हिस्सा) | 50,000/- | 50,000/- | 25,000/- |
| 10. | वाहन पर तैयार चल संचार टावर (प्रति ऐसा टावर प्रति मास) | 40,000/- | 30,000/- | 25,000/- |

(iii) वार्षिक पट्टा प्रभार:

(क) मेनहोल के निर्माण, डिश एन्टीना/खम्बे/ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल/संचार टावर के निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि को क्षेत्र के सम्बन्ध में वार्षिक पट्टा प्रभार भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर में) को लागू कलक्टर दरों का 6 प्रतिशत होंगे। अनुज्ञप्ति देने के समय पर प्रारम्भिक रूप से निर्धारित पट्टा प्रभार

में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी। पट्टा प्रभार पांच वर्ष के दूसरे ब्लाक के लिए पांच वर्ष की अवधि के बाद पुनः नियत किए जाएंगे तथा आगे भी इसी प्रकार तथा इसी प्रकार आगे समय पर लागू कलक्टर दरों के संदर्भ में तुरन्त पुनः नियत किए जाएंगे। अनुज्ञापिधारी को बिना किसी वृद्धि के प्रारम्भिक रूप से निर्धारित दरों पर संगणित पांच वर्ष की अवधि के लिए एकमुस्त आधार पर अपफरन्ट पट्टा प्रभार जमा करने का विकल्प भी होगा।

(ख) उपरोक्त पट्टा प्रभार केवल नगरपालिका के स्वामित्वाधीन भूमि के सम्बन्ध में लागू होंगे। जब कभी आवेदक उक्त प्रयोजन के लिए निजी रूप से स्वागित्त्व भूमि के प्रयोग के लिए प्रस्ताव करता है, तो कोई भी पट्टा प्रभार उस सीमा के लिए राज्य विकास अभिकरण को भुगतानयोग्य नहीं होगा तथा पट्टा करार/प्रभार पक्षकारों के बीच परस्पर विनिश्चित/निर्धारित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी केवल ऐसे मामलों में पक्षकारों के बीच पट्टा करार के लिए कहेगा।

(iv) कार्य बैंक गारंटी

आवेदक कार्य के निष्पादन की प्रक्रिया में खोदे गए/प्रयोग किए गए स्थलों की मरम्मत के लिए प्रतिभूति की ओर वापसीयोग्य कार्य बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। कार्य बैंक गारंटी परियोजना समाप्त अवधि के अतिरिक्त छह मास की अवधि के लिए मान्य होगी तथा निष्पादन अवधि को बढ़ाने की घटना में तदनुसार नवीकृत की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी स्थल/क्षेत्र की सन्तोषजनक मरम्मत पर बैंक गारंटी का भुगतान करेगा। कार्य बैंक गारंटी निम्नलिखित दरों पर प्रस्तुत की जा जाएगी:

मरम्मत कार्य के विरुद्ध कार्य बैंक गारंटी (₹प्रति रूट मीटर)

| क्रम | कार्य बैंक गारंटी | रिपोर्ट कंकरीट राइक/ पट्टी | रिपोर्ट कंकरीट पेवर ब्लाक | पक्की सड़क/ पट्टी | अगपेवड (कच्ची) सड़क/ रास्ते | अन्य |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|
| 1. | मार्डको ड्रेनिंग डंग | 50/- | 50/- | 30/- | अनुज्ञात नहीं | 20/- |
| 2. | होरिजन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग डंग/ होरिजन्टल बोरिंग डंग | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| 3. | खुली खुदाई डंग | अनुज्ञात नहीं | अनुज्ञात नहीं | अनुज्ञात नहीं | 500/- | 500/- |

- (क) मरम्मत के विरुद्ध कार्य बैंक गारंटी के लिए राशि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद पुनरीक्षित की जाएगी।
- (ख) स्थलों की सन्तोषजनक मरम्मत के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में कार्य बैंक गारंटी परियोजना संपादन अवधि के अतिरिक्त छह मास की अवधि के लिए मान्य होगी। यदि कार्य के संपादन के लिए अधिक समय लग जाता है, तो बैंक गारंटी संशोधित संपादन अवधि के अनुरूप तथा छह मास के लिए नवीकृत/विस्तारित करनी होगी। अनुज्ञापिधारी को सक्षम प्राधिकारी से समय-वृद्धि के लिए औपचारिक अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (ग) अनुज्ञापिधारी सम्बन्धित कार्य स्थलों की मरम्मत का सन्तोषजनक संपादन के बारे में रिपोर्ट करेगा जिसका ऐसी रिपोर्ट के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर नगरपालिका के प्रतिनिधि द्वारा मुआयना किया जाएगा/पता लगाया जाएगा। उसके बाद, बैंक गारंटी कथित प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए ऐसा मरम्मत कार्य कार्यान्वित करने के अध्यक्षीन उसके निरीक्षण की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या प्रार्थना की प्रस्तुति के तीस दिन के भीतर अनुज्ञापिधारी को भुगतान की जाएगी।
- (घ) अनुज्ञापिधारी अधिक विस्तार के लिए दशलागू कार्य बैंक गारंटी मुहैया कर सकता है जो कार्य किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रत्येक पञ्चासवर्ती विस्तार के लिए उसकी सूची प्रस्तावित है जोकि निष्पादन की अवधि के लिए तथा छह मास के लिए ऐसी कार्य बैंक गारंटी की मान्यता के अध्यक्षीन है।
- (ङ) यदि अनुज्ञापिधारी द्वारा अपेक्षित कार्य अनुज्ञापि प्रदान करने वाली नगरपालिका की सन्तुष्टि के लिए पूरा नहीं किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी बैंक गारंटी में विस्तार सहित, जो वह उचित समझे, संपादन अवधि बढ़ा सकता है। जहां अनुज्ञापिधारी समत समय-सीमा के भीतर इस निमित्त अपना कार्य बन्धन पूरा करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी बैंक गारंटी नकद प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञापिधारी के जोखिम तथा लागत पर स्वयं स्थल की मरम्मत करवाएगा।

परिशिष्ट - ग

[देखिए उपविधि 9(1)]

1. ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टॉप मास्ट/संचार/मोबाईल टावरों की अवस्थिति

ग्राऊंड बेसड मास्ट / रूफ टॉप मास्ट / संचार / मोबाईल टावरों की अवस्थिति मानव स्वास्थ्य पर विकिरण के किसी सम्भावित प्रतिकूल संघात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। दूरसंचार विभाग, भारत सरकार या भारत टैलीकाम विनियामक अथॉरिटी या सभी समयों पर इस निम्नलिखित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा विहित विकिरण तथा सुरक्षा मानकों के अनुरूप अवसंरचना लगाई जाएगी। आगे, उसकी अवस्थिति आवेदक द्वारा अपनाई गई रेडियो आवृत्ति द्वारा नियंत्रित होगी तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :-

- (i) ग्राऊंड बेसड मास्ट / टावरों की अवस्थिति को जहाँ तक सम्भव हो सघन जनसंख्या आवासीय क्षेत्र से बचाया जाएगा। यदि यह ऐसा करना पूर्णतया अनिवार्य होता है, तो खुले स्थानों में इन संरचनाओं को लगाने के प्रयत्न किए जाएंगे जैसे कि आवासीय सैक्टरों या आवासीय क्षेत्रों से लगभग पचास मीटर की सुरक्षित दूरी रखते ग्रामीण क्षेत्रों के खुले स्थानों/खेतों में उपलब्ध पार्क/हरित पट्टी;
- (ii) जहाँ कहीं बसे हुए आवासीय क्षेत्रों में इन संचार टावरों को लगाना संकटपूर्ण है तथा कोई भी खुला स्थान उपलब्ध नहीं है, तो अवसंरचना प्रबन्धक माइक्रो सैल आधारित स्टेशन का प्रयोग करेगा जहाँ उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है।
- (iii) ग्राऊंड बेसड मास्ट / रूफ टॉप मास्ट / संचार / मोबाईल टावर वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत अंचल या बसे हुए क्षेत्रों के बाहर वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत स्थलों तथा क्षेत्रों के भीतर खुले क्षेत्रों (भवन के आवर्तन क्षेत्र के सिवाय) में लगाए जा सकते हैं।
- (iv) बहुविध एन्टीना (पर सेक्टर) के साथ रूफ टॉप मास्ट / मोबाईल / संचार टावरों के मामले में, ऊपरी छत उपयोग आवासीय क्षेत्रों में प्रतिबन्धित के रूप में वांछनीय है। तथापि, मोबाईल / संचार टावर लगाने के लिए अनुज्ञापित इन उप-विधियों में विनिर्दिष्ट नामित संस्थाओं द्वारा जारी अवसंरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्रों के अधीन वाणिज्यिक या संस्थागत भवनों की ऊपर छत पर अनुज्ञात की जा सकती है।
- (v) नगरपालिका उनके परिसरों या भूमि के भीतर उपयुक्त स्थलों की पहचान करने की सम्भावना का अन्वेषण करने के लिए प्रयास करेगी जो ग्राऊंड बेसड मास्ट / रूफ टॉप मास्ट / मोबाईल / संचार टावरों की स्थापना के लिए अवसंरचना प्रबन्धक द्वारा उपयुक्त भाया जाता है। ऐसी सुविधाओं के लिए स्थान आवेदन की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर इन उप-विधियों के अनुसार पट्टर आधार पर आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें असफल होने पर आवेदक इन उप-विधियों में अधिविधित शर्तों के अधीन उन द्वारा पहचानित स्थानात्मक अवस्थिति/स्थलों पर कथित संरचना लगाने के लिए स्वतन्त्र होंगे।
- (vi) टावरों की अवस्थिति से सम्बन्धित उपरोक्त सभी शर्तें चल संचार टावरों को भी लागू होंगी।
- (vii) अनुज्ञापिका सुनिश्चित करेगी कि अवसंरचना प्रणाली के प्रत्येक स्थल जैसे कि ग्राऊंड बेसड मास्ट / रूफ टॉप मास्ट / टावर या कोई अन्य संरचना जिसके लिए अनुज्ञापित प्रदान की गई है, अनुसंधान तथा प्रचालन के लिए आसानी से सुगम्य है।

2. केबल (भूमि से ऊपर तथा भूमि के नीचे) बिछाने समय, खम्बे / डिश एन्टीना / ग्राऊंड बेसड मास्ट / रूफ टॉप मास्ट / मोबाईल तथा संचार टावर निमित्त करते समय तथा लगाते समय अवसंरचना/सेवा प्रबन्धकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले तकनीकी मापदण्ड।

(i) भूमिगत केबल बिछाने:

- (क) आवेदक किसी भी स्थिति में संचार अवसंरचना कार्य करेंगे ताकि जगता न्यूनतम असुविधा हो। वह आफ-पीक समय के दौरान कार्य का निष्पादन करने के लिए जन सुरक्षा तथा प्रोत्साहित करने के लिए सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र को उपयुक्त रूप से कार्डेम-अफ करेगा ताकि लोगों को न्यूनतम असुविधा हो सके। आवेदक यथा अनुमत तथा सक्षम प्राधिकारी की समुचित के लिए कार्य स्थल से दूर स्थलों पर किसी अप्रयुक्त मिट्टी / गलवा के क्षेत्र को साफ करने, तथा ऐसे मलबे / मिट्टी का निपटान करने के साथ-साथ इनकी मूल स्थिति के लिए खोदे गए क्षेत्र / स्थलों की मरम्मत करेगा।
- (ख) आवेदक रूट जहाँ केबल डाली जानी प्रस्तावित है, के साथ-साथ वर्तमान उपयोगिताएं / सेवाओं का पता लगाने के लिए भूमि भेदन / तहकीकात राडार सर्वेक्षण करेगा। इस सर्वेक्षण के माध्यम से वर्तमान उपयोगिता सेवाओं के सम्बन्ध में संगठित आकड़ों का किसी प्रकार के बिना नगरपालिका के साथ बिना शर्त हिस्सा होगा।

- (ग) यथा सम्भव शीघ्र आवेदक माईक्रो टैरिंग/होरिजन्टल ड्रैव्शानल ड्रिलिंग तकनीक या होरिजन्टल पोरींग ड्रिंग का प्रयोग करते हुए कार्य करेगा ताकि जनता की हानि को कम किया जा सके तथा न्यूनतम असुविधा हो।
- (घ) केबल सामान्यतः रास्ता-अधिकार के किनारे पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत/अनुमोदन के अनुसार डाली जाएगी। रास्ता अधिकार की प्रतिबन्धित चौड़ाई के गागले में, जो केवल वाहन रास्ते, केन्द्रीय रीगा, शोलडर, कच्चे सड़क तथा जल निकास की ढलाई को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। केबल तटबन्धों की टोय-लाइन से बाहर तथा जल निकास को साफ करके बिछाई जाएगी। जहां कहीं यह पाया जाता है कि वर्तमान उपयोगिताओं/सेवाओं का प्रतिकूल संघात किए बिना केबल डालना सम्भव नहीं है, तो अनुज्ञप्ति अस्वीकार की जा सकती है।
- (ङ) खोल/नाली पाईप वाली केबल का सिरा नाली उत्क्रमण के नीचे कम से कम 0.3 मीटर के अर्धवृत्त ऊपरी रातह के नीचे कम से कम 1.5 मीटर होगा।
- (च) 2 मीटर X 2 मीटर गड़डा तथा 1.5 मीटर गहरा, या कम आकार का केबल डालने के लिए केन्द्र-से-केन्द्र तक 100 मीटर की दूरी पर किया जाएगा। तथापि, विशेष स्थल स्थिति, परिवर्तनशील गहराई/परिमाण के मामले में स्थल स्थिति पर निर्भर करते हुए अनुमत किया जा सकता है।
- (छ) अधिमानतः रूट मार्कर डाली गई केबल के स्वाभित्वाधीन तथा गहराई की स्पष्ट मार्किंग के साथ 300 मीटर के अन्तराल पर रूट के साथ-साथ स्टील या कंक्रीट में लगाया जाएगा।
- (ii) ऊपरी संचार केबलों के लिए खम्बों का निर्माण :-
- (क) ऊपरी केबल डालने के लिए अनुज्ञप्ति प्रतिबन्धित होगी।
- (ख) विद्युत उपयोगिताओं के विद्युत खम्बों/टावर इत्यादि पर ऊपरी संचार केबल डालनी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
- (ग) जहां कहीं, ऊपरी केबल को डालने से बचना सम्भव नहीं है, तो आवेदक उस क्षेत्र की इको-प्रणाली तथा सौन्दर्य बनाए रखने के लिए सभी साध्यानी उपाय करेगा।
- (घ) खम्बे की ऊंचाई ऐसी होगी जोकि विद्युत केबल/वितरण संप्रेषण प्रणाली में बाधा नहीं डालती तथा दो खम्बों के बीच कम से कम दूरी चालीस मीटर होगी।
- (ङ) उपलब्धत के अधीन रहते हुए, अधिकतम एक मीटर X एक मीटर स्थान, सड़क (सड़क किनारे) के पथ के किनारे से 0.3 मीटर की न्यूनतम दूरी पर खम्बे का निर्माण करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा तथा सीमेंट-कंक्रीट नींव में लगाया जाएगा।
- (च) केबल का लटकाना ऐसा होगा कि इससे वाहनों के संचालन में बाधा न होती हो।
- (iii) ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट :-
- ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट की अधिकतम ऊंचाई संलग्न भूमि स्तर से 30 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा दो मास्ट के बीच दूरी सम्भव सीमा की दृष्टि की लाईन में 150 मीटर से कम नहीं होगी।
- (iv) मोबाईल/संचार टावर :-
- संलग्न भूमि स्तर से मोबाईल/संचार टावर की ऊंचाई 75 मीटर से अधिक नहीं होगी जो कि रक्षा तथा नागरिक विमानन प्राधिकरणों से समन्वयन के अधीन होगी। मोबाईल/संचार टावरों का निर्माण तंग लेन (< 5 मीटर) से बचा जाएगा। तथापि, चल संचार टावर के मामले में अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 21 मीटर होगी।
3. केबल (भूमि से ऊपर तथा भूमिगत केबल) डालने खम्बों/डिशा एन्टीना/ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाईल/संचार टावरों का निर्माण करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य निबन्धन तथा शर्तें :-
- (i) समय-समय पर यथा संशोधित अनुज्ञप्तिधारी को लागू किसी शर्त के सम्बन्ध में दूर संचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी/अधिसूचित निबन्धन तथा शर्तें/भार्ग दर्शन सभी मामलों में लागू होंगे तथा बाध्य होंगे।
- (ii) भूमिगत/ऊपरी संचार/सम्बद्धता अवसंरचना डालने के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी, जहां वे पैदल संचालन या स्थानीय यातायात की जन सेवाओं तथा सुविधाओं में बाधा/रूकावट के विद्युतन का कारण न बने। जन सुविधा तथा सुरक्षा के सिद्धान्तों तथा अन्य विचारों की अवहेलना करेंगे। तथापि, सक्षम प्राधिकारी केबल अत्यधिक मामलों में अनुज्ञप्ति दे सकता है यदि आवेदक सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए जन सेवाओं पर किसी प्रतिकूल संघात को बिना उसकी अपनी लागत पर ऐसी सेवाएं उचित रूप से समायोजित करने तथा/या पुनः पंक्तिबद्ध करने का प्रस्ताव करता है।

- (iii) ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल/संचार टावर के मामले में अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी, यदि कोई भवन नीचे-यथा वर्णित मीटरों में सुरक्षित दूरी के भीतर एन्टीना के सामने पाया जाता है :-

| क्रम संख्या | बहुविध एन्टीना की संख्या | एन्टीना से भवन/संरचना दूरी (मीटरों में सुरक्षा दूरी) |
|-------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 35 |
| 2 | 4 | 45 |
| 3 | 6 | 55 |
| 4 | 8 | 65 |
| 5 | 10 | 70 |
| 6 | 12 | 75 |

- (iv) अनुज्ञप्तिधारी जिसे निर्दिष्ट संस्था से ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल/संचार टावरों की अपेक्षित तकनीकी सुरक्षा जांच कराने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (v) अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्राधिकृत प्राधिकारी से प्रचालन तथा अनुरक्षण अवधि के दौरान नियमित अन्तःशाल पर विकिरण स्तर जांच करानी चाहिए तथा प्राधिकृत प्राधिकारी को समनुरूपता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट के अभाव में सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी की लागत पर ऐसे परीक्षण के लिए कह सकता है। विकिरण उत्सर्जन मानकों का अफलन समय-समय पर संचार विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा विहित शारितथों को आकर्षित करेगा तथा अनुज्ञप्ति को रद्द करेगा।
- (vi) अनुज्ञप्तिधारी भवन, संलग्न भवन तथा जनता की किसी हानि के लिए अकेले जिम्मेवार होगा।
- (vii) ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल/संचार टावर के शिखर पर मुहैया प्रकाश अरेस्टर पर्याप्त ऊंचाई का होगा ताकि मास्ट पर सभी ऊपर उठे हुए थोपे गए एन्टीना इसकी शंकु रुखा जोन के भीतर सुरक्षित हो सके।
- (viii) ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल/संचार टावरों के शिखर पर लगाई गई विधानन चेतामनी लाईटें अन्तःसौर्य नागरिक विमानन संगठन के मार्गनिर्देशन के अनुसार होंगी तथा अच्छी परिचालन स्थिति के लिए नियमित रूप से जांच की जाएगी।
- (ix) ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल/संचार टावरों का मिट्टी प्रतिरोध विहित रेंज के भीतर अनुरक्षित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष समय-समय पर जांच की जाएगी।
- (x) अनुज्ञप्तिधारी किसी सरकारी अनुमोदित अभिकरण से नियमित अन्तःशालों पर ऐसी संचार अवसरचना की अपेक्षित जांच कराने के लिए भी जिम्मेवार होगा तथा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (xi) आस्टिक फाईबर केबल/संचार केबल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तब तक प्रयोग में नहीं लाई जाएगी जब तक इस प्रभाव का समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है कि टैलीकम केबल/डक्ट/मेनहोल अनुमोदित विशिष्टियों तथा ड्राईंग के अनुसार डाले गए हैं तथा मड़दे सम्बद्ध प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए भर दिए गए हैं।
- (xii) यदि पहले ही डाली गई आस्टिक फाईबर केबल/अन्य संचार केबल/ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल/संचार टावर के संरक्षण में कोई बदलाव या परिवर्तन सड़कों को चौड़ा करने/फलाईओवर या सार्वजनिक भवन के निर्माण के कारण आवश्यक है, तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसकी अपनी लागत पर उसे करने के लिए बाध्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी कथित प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए इस शर्त की अनुपालना करने में असफल होता है, तो उसे कथित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम तथा लागत पर निर्बाधित किया जाएगा। इस लेखे पर इस प्रकार लागत प्रभार अनुज्ञप्तिधारी से वसूलीयोग्य होंगे।
- (xiii) यदि दी गई अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति पर पहले ही डाली गई ऑप्टिक फाईबर केबल/अन्य संचार केबल/ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाइल/संचार टावरों को हटाने के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लागत पर उसे कराने के लिए बाध्य होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम तथा लागत पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्बाधित किया जाएगा। इस लेखे पर इस प्रकार लागत खर्च अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य होगा।

- (xiv) उर्री रूत धर वार-वार खुदाई करने से बचने के उद्देश्य से, अनुज्ञप्तिधारी फाव्टू क्षमता सहित अतिरिक्त नलिका/नाली स्पेक्षणपूर्वक रूप से डाल सकता है ताकि किसी आगामी आवश्यकता का ध्यान रखा जा सके। तथापि, अधिक क्षमता का सफजन पथ रास्ता अनुज्ञप्ति देने के लिए पूर्व-शर्त नहीं होगी।
- (xv) अनुज्ञप्तिधारी सभी भूमिगत स्थापनाओं/उपयोगिताओं/सुविधाओं की सुरक्षा तथा बचाव सुनिश्चित करेगा तथा सम्बद्ध प्राधिकारी को अनुज्ञप्तिधारी की लागत तथा जोखिम पर हुई हानि/मार्गे गए दावों या वापसी के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को मुआवजे/क्षतिपूर्ति के लिए अकेला जिम्मेवार होगा।
- (xvi) खोदी गई खाई की सीमा सही रूप से ठीक की जाएगी ताकि केवल डाली जा सके तथा खाईयों को उस दिन के कार्य की समाप्ति से पूर्व भरा जाना है। भरई राज्य विकारा अगिकरण की सन्तुष्टि के अनुसार होनी चाहिए।
- (xvii) अनुज्ञप्तिधारी लिखित में नोटबल अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना कथित केबल/संधार तोबलों को बदलने, मरम्मत या परिवर्तन का कोई कार्य नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी नया/रख-रखाव/मरम्मत कार्य करने के लिए खुदाई करने से पूर्व रूट/अवस्थिति ब्यारे सहित पन्द्रह दिन का नोटिस देने के लिए दायी होगा।
- (xviii) अनुज्ञप्तिधारी तल के नीचे क्रॉस जलनिकास संरचना, नदी इत्यादि को पार करने के लिए उसका अपना प्रबन्ध करेगा। यदि, यह सम्भव नहीं है, तो केबल/नलिका रेलिंग/पैरापिट के बाहर की जा सकती है तथा उत्तम-संरचना पुल के बाहर की और लगे ब्रेकेट की सहायता से किया जा सकता है। सभी ब्योरों सहित फिक्सिंग तथा सहायता के लिए ऐसी अनुमति प्रदान करने हेतु सम्बद्ध प्राधिकारी से अग्रिम में अनुमोदन लेना होगा। फिक्सिंग तथा सहायता प्रबन्ध के कारण अतिरिक्त लागत ऐसे प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतानयोग्य होगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उसे प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम तथा लागत पर निर्धारित करवत्ता जाएगा तथा इस कारण से इस प्रकार उभगत ऐसी लागत आवेदक से तसूलीयोग्य होगी।
- (xix) अनिद्वार्य सेवाएं अर्थात् जल आपूर्ति, मल निकास प्रणाली तथा दूर संधार लाईने, विद्युत सपलाई इत्यादि वी किसी हानि के मामले में अनुज्ञप्तिधारी उसकी अपनी लागत पर उनकी मूल तथा सन्तोषजनक अवरक्षा के लिए मरम्मत संधार करने के लिए जम्मेदारी की जिम्मेदारी होगी।
- (xx) नगरपालिका, नगरपालिका के किसी कार्यधारी द्वारा कार्यरतम ड्यूटी को पूरा करने के दौरान आदितिक फाईवर केबल तथा परिणामिक हानि, यदि कोई हो, के लिए किसी नुकसान हेतु जिम्मेवार नहीं होगा।
- (xxi) अनुज्ञप्तिधारी को कार्य निष्पादित करते समय रोक लगाने, खतरा प्रकाश करने तथा अन्य आवश्यक चेतावनी बोर्ड, मुहैया कराने होंगे।
- (xxii) यदि कोई यातायात विशाखन, कार्य अवधि के दौरान आवश्यक पाया जाता है, तो ऐसा विशाखन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अपनी लागत पर मुहैया कराया जाएगा।
- (xxiii) सक्षम प्राधिकारी लोक सुरक्षा के हित में स्थल योजना/रूट में संशोधन/परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, कर सकता है।
- (xxiv) संधार अवसंरचना सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञा तथा हिस्सा प्रसार का भुगतान किये बिना रोधर नहीं की जाएगी/उप-किरण पर नहीं दी जाएगी।
- (xxv) अनुज्ञप्तिधारी को इन उप-विधियों अधिकथित सभी निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करना होगा।
- (xxvi) इन उप-विधियों के अधीन करार करने के हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो करार में प्रस्तुत की गई प्रक्रिया के अनुसार निपटारे/सुलझापे जाएंगे अर्थात् सभी विवाद चम्पीगद में निपटारे जाएंगे। करार के किसी खण्ड का भंग करने के मामले में, सक्षम प्राधिकारी पन्द्रह दिन का कारण बताओ नोटिस देने के बाद संविदा समाप्त करने के लिए हकदार होगा। प्रशासकीय सचिव (हरियाणा सरकार द्वारा नामांकित किया जाने वाला) की पदवी का कोई अधिकारी गध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। जिसको विवाद भेजा जाएगा तथा मध्यस्थ का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्य होगा।

परिशिष्ट-घ

(द्वितीय उपविधि 12)

सामूहिक सामाजिक जिम्मेवारी के भाग के रूप में अतिरिक्त सुविधाओं की निदर्शी सूची :-

1. नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर सार्वजनिक पार्क / गोलचक्करों का विकास तथा अनुरक्षण, जहां सेवाएं चलाई जाती हैं। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी परस्पर निर्णीत / सम्मत के अनुसार उसके लिए इसका बोर्ड / क्रेडिट प्रदर्शित करने के लिए अवसररचना प्रबन्धक को अनुमति देगा।
2. परिमण्डित क्षेत्र में गली प्रकाश की सुविधा के उपबन्ध के लिए खम्बों (फिक्सचर की सप्लाइ सहित या के बिना) पर गली प्रकाश / एल.ई.डी. सोलर प्रकाश के प्रावधान के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्मित खम्बों का प्रयोग बिना प्रभार के होगा।
3. नागरिक सेवाओं की ई-डिलीवरी के लिए इसके कार्यालय तथा अन्य सामुदायिक सेवा केन्द्र, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के लिए स्थानीय प्राधिकरण के लिए बैंड वाईडथ / इन्टरनेट संयोजन, मुफ्त तथा छूट दरों की व्यवस्था।
4. क्षेत्र में जहां आवेदक अपनी सेवाएं घुमा रहता है, कम से कम दस गांव में सूचना केन्द्र / नागरिक सेवा केन्द्रों के लिए कम्प्यूटिंग हार्डवेयर (लेजर प्रिन्टर, वैबकाम, हैंडफोन तथा भाईक, कम्प्यूटर फर्नीचर, आनलाईन यू.पी.एस. इत्यादि सहित नवीनशम आकृति के दो डैस्कटॉप) मुहैया कराना।
5. विशेष अवधि के लिए नागरिक सेवाओं की ई-डिलीवरी के लिए सामुदायिक सेवा केन्द्रों की कतिपय संख्या की स्पोन्सरशिप।
6. रोजगार सम्भावना में सुधार करने के लिए कम आय वर्ग के लिए भवन क्षमता हेतु सम्मत अवधि के लिए ऐसे निपटण विकास केन्द्र में प्रशिक्षण / निपुण विकास सुविधायक तथा परिचालन तथा प्रबन्धन की स्थापना करना।
7. सार्वजनिक भूमि पर लगाए जाने वाले टायरों पर निगरानी कैमरों की बिना लागत के आपूर्ति तथा स्थापना। इन कैमरों को शहरों में नामित पुलिस नियन्त्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा तथा सम्बद्धता सम्मत अवधि के लिए मुफ्त तथा छूट पर मुहैया कराई जाएगी।

परिशिष्ट - ड.

[देखिए उपविधि 6 (iii)]

करार के लिए प्ररूप

शह करार _____ दिन को _____ दो हजार

को एक पक्ष के उपायुक्त के माध्यम से कार्य कर रहे, हरियाणा के राज्यपाल

तथा

(आवेदक का नाम) _____ जिसे, इसमें, इसके बाद दूसरे पक्ष "अनुज्ञापिधारी" कहा गया है, जिसने भूमि के नीचे केबल/माईक्रो ट्रेचिंग डालने के लिए/ऊपरी केबल/ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाईल/संचार/चल टावर/संचार अवसंरचना के हिस्से के लिए खम्भों के निर्माण करने के लिए अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है।

और, चूंकि, सक्षम प्राधिकारी हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) तथा इसके अधीन बनाई गई हरियाणा नगरपालिका (संचार तथा संयोजन अवसंरचना) उप-विधियां, 2013 जिसे, इसके, इसके बाद अधिनियम तथा उप-विधियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, में अन्तर्विष्ट निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार ऐसी अनुज्ञापि देने के लिए सम्मत् है।

अब यह करार निम्न अनुसार गवाह है :-

अनुज्ञापिधारी द्वारा _____ सभी शर्तों के पूरा करने पर _____ डालने के लिए/निर्मित करने के लिए अनुज्ञापिधारी को अनुज्ञापि देने के लिए सहमत सक्षम प्राधिकारी के विचार में, निम्न अनुसार अधिनियम देगा :

1. कि अनुज्ञापिधारी समय-समय के अनुसार कार्य का निष्पादन करेगा।
2. कि अनुज्ञापिधारी नामादिष्ट संस्था से ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाईल/संचार टावर की अपेक्षित तकनीकी सुरक्षा जांच करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
3. कि अनुज्ञापिधारी किसी प्राधिकृत प्राधिकारी से प्रचालन तथा अनुरक्षण अवधि के दौरान नियमित अन्तराल पर विकिरण स्तर जांच करवाएगा तथा सम्बद्ध प्राधिकारी को समनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ऐसी रिपोर्ट के अभाव में सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञापिधारी की लागत पर ऐसे परीक्षण करने के लिए कह सकता है। विकिरण उत्सर्जन मानकों का अपालन समय-समय पर दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा तथा विहित शास्त्रियों को आकर्षित करेगा तथा अनुज्ञापि का सुदकरण करेगा।
4. कि अनुज्ञापिधारी किसी भवन, संलग्न भवन की हानि के लिए अकेले जिम्मेवार होगा।
5. प्रकाश अरेस्टर तथा विमानन प्रकाश (अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार) ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाईल/संचार टावर के शिखर पर गृहीत करवाएगा।
6. ग्राऊंड बेसड मास्ट /रूफ टोप मास्ट/मोबाईल/संचार टावरों का मिट्टी प्रतिरोध विहित रेंज के भीतर अनुरक्षित रखेगा तथा प्रत्येक वर्ष समय-समय पर जांच करवाएगा।
7. कि अनुज्ञापिधारी किसी सरकारी अनुमोदित अभिकरण से नियमित अन्तरालों पर ऐसी संचार अवसंरचना की अपेक्षित जांच कराने के लिए भी जिम्मेवार होगा तथा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
8. कि ऑप्टिक फाइबर केबल/संचार केबल का अब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक इस प्रभाव का सम्पादन प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है कि टैलीकाम केबल/डक्ट/मेनहोल अनुमोदित विशिष्टियों तथा ड्राईंग के अनुसार डाले गए हैं तथा गड़बड़े सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए भर दिए गए हैं।
9. कि यदि पहले ही डाली गई ऑप्टिक फाइबर केबल/अन्य संचार केबल/ग्राऊंड बेसड मास्ट /रूफ टोप मास्ट/मोबाईल/संचार टावर के संरक्षण में कोई बदलाव या परिपतन राइकों को धौड़ा करने/फलाईओवर या सार्वजनिक भवन के निर्माण के कारण यदि आवश्यक है, तो अनुज्ञापिधारी सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसकी अपनी लागत पर उसे करेगा।
10. कि अनुज्ञापिधारी सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसकी अपनी लागत पर दी गई अवधि अनुज्ञापि अवधि की समाप्ति पर पहले डाली गई ऑप्टिक फाइबर केबल/अन्य संचार केबल/ग्राऊंड बेसड मास्ट/रूफ टोप मास्ट/मोबाईल/संचार टावर हटाएगा।

11. कि अनुज्ञप्तिधारी सभी भूमिगत स्थापनाओं/उपयोगिताओं/सुविधाओं की सुरक्षा तथा बचाव सुनिश्चित करेगा तथा सम्बद्ध प्राधिकारी को अनुज्ञप्तिधारी की लागत तथा जोखिम पर हुई हानि/भांग गए दायों या वापसी के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को मुआवजे/क्षतिपूर्ति के लिए अकेला जिम्मेवार होगा।
12. कि अनुज्ञप्तिधारी लिखित में सम्बद्ध प्राधिकरणों की पूर्ण अनुमति के बिना कथित केबल/संचार केबलों को बदलने, मरम्मत या परिवर्तन का कोई कार्य नहीं करेगा।
13. कि अभिवार्य सेवाएं अर्थात् जल आपूर्ति, मल निकास प्रणाली तथा दूर संचार लाईने, बिद्युत राणलाई इत्यादि की किसी हानि के मामले में अनुज्ञप्तिधारी उसकी अपनी लागत पर उनकी मूल तथा सन्तोषजनक अवस्था के लिए मरम्मत सेवाएं करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेवारी होगी।
14. कि नगरपालिका, नगरपालिका के किसी वर्गचारी द्वारा कार्यालय ड्यूटी को पूरा करने के दौरान आटिक फाईबर केबल तथा परिष्पामिक हानि हेतु किसी मुकदमा के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
15. कि अनुज्ञप्तिधारी को कार्य निष्पादित करते समय सभी सुरक्षा उपाय जैसे कि रोक लगाने, खतरा प्रकाश करने, आवश्यक चेतावनी बोर्ड इत्यादि मुहैया कराने होंगे।
16. कि संवार अवसरचना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना शेयर नहीं की जाएगी/उप-किराए पर नहीं दी जाएगी तथा हिरस्त प्रभारों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
17. कि करार के किन्हीं खण्डों का भंग करने के मामले में सक्षम प्राधिकारी पन्द्रह दिन कारण बताओ नोटिस देने के बाद संविदा समाप्त करने के लिए सशक्त होगा।
18. कि दी गई अनुज्ञादि के किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों की उल्लंघना के मामले में अनुज्ञाति किसी भी समय वापस ली जा सकती है, ऐसा अनुज्ञातिधारी ऐसे रद्दकरण द्वारा उसको हुई किसी क्षतिपूर्ति या किसी हानि के लिए हकदार नहीं होगा।
19. कि सरकार द्वारा नामांकित किया जाने वाला प्रधान सचिव की पदवी का कोई अधिकारी मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा तिसकी मामला निर्दिष्ट किया जाएगा तथा मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्य होगा।

उसकी भवही में इसके पक्षकारों ने पहले उपरोक्त लिखित दिन तथा वर्ष को उनके अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं। यह करार दोहरी प्रति में निष्पादित किया गया है तथा इस करार के प्रत्येक पक्षकार ने प्रत्येक की एक स्ताम्पित प्रति रख ली है।

_____ द्वारा हस्ताक्षरित
तथा चितरित
(सक्षम प्राधिकारी)

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम
पता

हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम
पता

_____ द्वारा हस्ताक्षरित
तथा चितरित
(सक्षम प्राधिकारी)

की उपस्थिति में

हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम
पता

हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम
पता

पी० राघवेन्द्रा राय,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT****Notification**

The 20th September, 2013

No. 2/12/2013/RF2.—In exercise of the powers conferred by clause (xxx) of Section 200 read with Section 214 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 2/12/2013/R2, dated the 2nd September, 2013, the Governor of Haryana hereby makes the following Bye-laws namely :-

BYE-LAWS**Short title and commencement.**

1. (i) These bye-laws may be called as the Haryana Municipal (Communication and Connectivity Infrastructure) Bye laws 2013.
- (ii) They shall come into force at once.

Definitions.

2. In these bye-laws, unless the context otherwise requires—

- (a) "Act" means the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973);
- (b) "Appendix" means Appendix appended with these bye-laws;
- (c) "applicant" means communication infrastructure provider registered with the Department of Telecommunications, Government of India or any telecom service provider licensed from the Department of Telecommunications, Government of India, to lay the communication and connectivity infrastructure and eligible to seek licence under these bye-laws;
- (d) "arrears" means the amount an applicant is liable to pay to the State Development Agency for communication infrastructure laid/erected before the notification of these bye-laws;
- (e) "cable" means an assembly of one or more insulated conductors or optical fibres or a combination of both, within an enveloping jacket which may be underground or overhanging and is a high speed physical medium for transmitting data/information;
- (f) "communication infrastructure" includes dish antenna, optical fibre cable, Ground Based Mast, Roof Top Mast, mobile/communication towers and other associated infrastructure;
- (g) "competent authority" means the Deputy Commissioner of the concerned district;

- (h) "designated institute" means and includes:
- (i) All the Indian Institute of Technology;
 - (ii) Central Building Research Institute, Roorkee;
 - (iii) Rail India Technical and Economic Services Limited;
 - (iv) National Council for Building Material, Faridabad;
 - (v) National Institute of Technology, Kurukshetra;
 - (vi) Punjab Engineering College, Chandigarh;
- (i) "dish antenna" or a "dish" means antenna or any other mode which can be used for broadcast, reception, space communication or radio transmission and is common in microwave system. The dish may be of metal or fibreglass, but shall exclude dish antenna installed under Direct-To-Home (D.T.H) scheme or a dish used for Television;
- (j) "Ground Based Mast (GBM)/Roof Top Mast (RTM)" is a communication tower in which the entire structure, functions as an antenna (without Diesel Generator and equipment room);
- (k) "license" means permission given by the competent authority to use Right of way/Right of use;
- (l) "moveable communication tower" means a mobile cell site that consists of a cellular antenna and equipment mounted on a truck or trailer, designed to be part of a cellular network;
- (m) "nodal officer" means the Executive Officer of the Municipal Council and the Secretary of Municipal Committee, as the case may be;
- (n) "Right of use" means permission to use right of way/services/spaces;
- (o) "Right of Way" is the space between two property lines;
- (p) "State Development Agency" means a municipal council or a municipal committee.

Prohibition.

3. No communication infrastructure shall be laid/installed without obtaining a license under these bye-laws from the competent authority within the areas of a municipality.

Submission of application and development.

4. (1) An application for seeking license on non-exclusive basis to lay the communication infrastructure, shall be submitted by the applicant, along with all the particulars and documents specified in Appendix A, to the nodal officer under whose jurisdiction the area falls. Nodal officer shall ensure that, -

- (i) in any scheme for laying of overhead cables on poles specifically erected for the purpose, as far as possible, shall be allowed only in exceptional cases, as the same tends to interfere with the overhead electricity distribution system apart from disturbing the aesthetics of the eco system.
- (ii) the applicant earmarks a pre-defined route alignment along the internal road circulation network, as per the required specifications (with or without a duct) as part of their development works for laying of the communication infrastructure, so as to avoid repeated digging and/or to facilitate the infrastructure providers seeking license to lay the cables in future.

(iii) an applicant desirous of sharing already laid/installed communication infrastructure, do so after depositing the amount as mentioned in Appendix B with the permission of the competent authority.

(iv) incomplete application not being in accordance with Appendix A is not processed and is rejected.

(2) The municipality may provide ducts and lay the optical fibre cable with sufficient bandwidth capacity/ redundancy as part of their development plans, which may be leased out to an applicant on a recurring charge basis, determined by the competent authority.

Conditions of license.

5. The conditions for grant of license shall be as under,—

- (i) it may be granted for the period applied for, subject to a maximum period of twenty years. This period would be further co-terminus with the lease period of lease agreement for land or/and building entered into between the applicant and the owner;
- (ii) if granted for moveable communication infrastructure, it shall be co-terminus with the period of the event for which the license is sought or for a maximum period of three months against a specific requirement to provide communication facility to public, subject to the fulfilment of all the conditions laid in the license or these bye-laws;
- (iii) it shall not be transferable and shall be applicable only for the period for which it has been granted;
- (iv) the licensee is entitled to this license in his individual capacity. In case of further transfer/merger/acquisition or any other form of transfer of the asset/property of the licensee, the entitlement of the license shall not be treated as transferred;
- (v) it shall not, in any manner, be deemed to convey to the licensee any ownership or perpetual rights in respect of the land or structures used for communication infrastructure other than expressly granted therein;
- (vi) in case of violation of any terms and conditions of the license, the competent authority shall cause a notice to be served upon the licensee to rectify the violation within a period of fifteen days. The competent authority may cancel the license, if the licensee does not rectify the violation within the period so specified in the show cause notice. On cancellation of the license, the licensee shall not be entitled to any compensation for any loss caused by such a cancellation;
- (vii) any other condition which the competent authority may think necessary in the public interest.

Processing of applications.

6. Each application shall be duly scrutinized by the nodal officer, who may seek such additional information from the applicant, as may be considered necessary. While processing the said application, the nodal officer shall take the following into consideration namely:—

- (i) existing infrastructure services, their safety, operations and future requirements of widening of the roads or augmentation of services. In case the proposed route alignment interferes with any service already laid, and it is feasible to relay/ re-align such a services at the cost of the licensee or the licensee offers to undertake such

realignment at his cost to the satisfaction of the competent authority, the same may be considered and allowed;

- (ii) competent authority on being satisfied with the proposed alignment route/ site or if such route is determined and finalized through mutual agreement alongwith the time schedule in which the proposed work is to be executed/ completed, shall issue a letter of intent (LoI), alongwith the agreement to be executed in this behalf, and demand notice of charges, right of way/right of use charges (except of M/s Bharat Broadband Network Limited), lease charges for use of the land for its purpose, and demand a performance bank guarantee as a refundable security for satisfactory restoration of the sites as per the details specified in Appendix B;
- (iii) upon issue of the letter of intent, the applicant shall furnish the agreement as per Appendix E, alongwith all the applicable charges to the nodal officer within thirty days;
- (iv) as soon as the letter of intent holder completes the documentation and deposits all the relevant charges, including the performance bank guarantee, the competent authority shall execute an agreement and issue a license in favour of the applicant within a period of fifteen days, to enable the licensee to commence the execution of infrastructure work.

Timeframe for decision on applications.

7. The competent authority shall adhere to the following timeframe for grant of the licenses, namely:—

| Sr. No. | Event | Number of working days |
|---------|---|--|
| (i) | Processing of applications and seeking of additional information, if any, from the date of receipt of complete application; | 45 days |
| (ii) | Issue of letter of intent or rejection of application along with reasons thereof; | 15 days |
| (iii) | Compliance of the letter of intent conditions | 30 days |
| (iv) | Execution of Agreements and issue of license. | 15 days from the date of receipt of papers from the letter of intent holder. |

Timeframe to complete infrastructure work.

8. While laying/executing infrastructure work;

- (i) the licensee shall submit the time-frame within which it plans to execute the infrastructure work. The said plan may provide stretch-wise completion schedule, alongwith the complete plan;
- (ii) the licensee shall ensure that no inconvenience is caused to the general public in the process of carrying out its operations. If found necessary, the nodal officer may direct the licensee to undertake execution of its work during the off-peak hours or during night;
- (iii) the licensee shall keep the nodal officer duly informed about the progress on a monthly basis, which may be reviewed at regular intervals; and
- (iv) wherever the licensee is not executing the related work in the stated time frame, the competent authority may revoke the license after granting an opportunity of hearing to the licensee. However, where the licensee is able to

establish that any such delay is for reasons beyond its control, the competent authority may extend the execution period and allow the work to be completed within the mutually agreed time-frame.

Execution of work.

9. The licensee shall execute the communication infrastructure work by strictly adhering to the following, namely:-

- (i) technical standards and parameters specified in Appendix C;
- (ii) all the safety standards applicable as per relevant guidelines of the Government of India/ State Government. Further, the licensee shall ensure that the communication infrastructure at all times conform to the electricity magnetic field radiation norms as prescribed by the Department of Telecommunications, Government of India or the Telecom Regulatory Authority of India, as the case may be, from time to time;
- (iii) no Ground based mast/roof top mast or communication/mobile tower shall be allowed to be installed unless a structure stability/ safety certificate is obtained from one of the designated institutes both at the time of submission of application and completion of work.

Infrastructure installed without license.

10. (1) From the date of commencement of these bye-laws, any communication infrastructure already installed for which license has not been granted by the competent authority, the service provider shall either remove the communication infrastructure immediately or apply for the license within a period of ninety days of publication of these bye-laws in the Official Gazette, to get such unauthorized action compounded, for which he shall be liable to pay a compounding fee, which shall be calculated at rate of fifty percent of the applicable charges as specified in Appendix B along with the arrears, if any, due to the municipality, subject to the condition that such communication infrastructure fulfills the conditions of these bye-laws. Wherever any rectification is required in this process, he shall be granted period of thirty days to undertake such a rectifications;

(2) If the applicant does not apply or remove the communication structure, he shall be called upon to show cause as to why action should not be taken against him as per provisions of the Act. If the applicant fails to show cause or take corrective measures, the competent authority shall proceed to get the unauthorized communication structure removed at the expense of such service provider.

Indemnity bond.

11. The applicant shall indemnify the municipality against any loss of life or property in the process of execution of work or against any claim thereafter during the period of operation and maintenance of such communication infrastructure at all times. The applicant shall submit the indemnity bond on a properly stamped non-judicial stamp paper.

Additional corporate social responsibility.

12. The competent authority may encourage and persuade the licensee to undertake some social responsibility as per Appendix D in furtherance of the principles of corporate social responsibility. However, any such initiative may be mutually agreed upon and decided, for which no coercive method shall be applied.

Repeal provisions.

13. The Haryana Municipal (Laying of Cable and Erection of Dish Antenna) Bye laws, 2007 and the Haryana Municipal (Erection of Communication Tower) Bye laws, 2009 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken, under the bye-laws so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these bye-laws.

Appendix A

[See Bye-law 4(1)]

APPLICATION FORM

(To be submitted by the applicant on his letter head)

Ref No:

Dated:

To

Subject: Regarding grant of license under the Haryana Municipal (Communication & Connectivity Infrastructure) bye laws, 2013.

License applied for :
 Name of the Applicant Company :
 Registration Number :
 Address :
 Telephone Number :
 Mobile Number :
 Fax :
 E-mail ID :

I/We hereby request to grant license to carry out the work for underground cables /Micro Trenching/ Erection of poles for overhead cables/Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/moveable/communication tower/sharing of communication infrastructure at _____ (name and detail of the location/route).

Board Resolution/ Power of attorney issued to the signatory of this application is attached herewith.

We further undertake to abide by all the terms and conditions laid in the bye laws.

It is therefore, requested to grant license to carry out the above mentioned work.

Signature of the authorized signatory.

(Name and Address)

List of documents to be attached along with the application:

1. Documents to be submitted in all cases:-

- (i) Copy of registration certificate as communication Infrastructure provider or a telecom service provider granted by the Department of Telecommunications, Government of India;
- (ii) Two sets of the proposed route layout plan drawings clearly indicating the locations of communication infrastructure for which the license is being sought;

- (iii) Time schedule (stretch and stage wise) for completion of the work and investment;
 - (iv) Indemnity bond to indemnify the municipality against:
 - (a) any liability for the damage caused to the existing infrastructure by the applicant for any reasons, and
 - (b) claims against any accidents on account of the infrastructure laid/ facilities installed or against any claims thereafter during the period of operation and maintenance of such infrastructure at all times;
 - (v) Undertaking to pay all the applicable charges and the performance bank guarantee, as specified in Appendix B to the competent authority;
 - (vi) Undertaking to maintain the infrastructure facility in good and safe condition at all times during the operation and maintenance period;
 - (vii) Undertaking to execute an agreement with the competent authority;
 - (viii) Undertaking to re-lay/ re-align the communication network/ relocate the poles/ dish antenna/ mobile / communication tower/ Ground Based Mast at its own cost in the event of requirement of the area for augmentation of public services like widening of roads, pedestrian walkways, water supply and distribution network, sewage/ drainage network etc.;
 - (ix) Undertaking to abide by the terms and conditions of grant of license and adherence to the radiation norms as prescribed by the Department of Telecommunications, Government of India or the Telecom Regulatory Authority of India.
2. Documents for laying underground Optic Fibre/ Co-axial Cables (in addition to those listed at serial number 1 above):
- (i) Technology/ method proposed to be used for laying the cables (Horizontal Directional Drilling/Horizontal Boring methods/Micro Trenching or open digging) with preference for use of Horizontal Directional Drilling/Micro Trenching;
 - (ii) Specific area details (in square feet or square meter) required for any structure (manholes/boxes/towers/ ground based mast/roof top mast etc.) on the land proposed to be taken on lease;
 - (iii) Dimensions (depth, length and width) of the area proposed to be used for right of way/right of use for laying the Optic fibre cables and other communication devices/structures.
3. Documents for erection of Poles for overhead communication cables (in addition to those listed at Sr. No. 1 above):
- (i) Specific area details (in square feet or square meter) required for erection of poles and connection boxes on the land proposed to be taken on lease;
 - (ii) Details marked on town map showing (a) proposed route; (b) no. of poles; (c) dimension of poles (height, thickness/diameter); (d) distance between each pole; and (e) minimum ground clearance for the cable.

4. **Documents for installation of dish antenna (in addition to those listed at serial number 1 above):**
- (i) The proposed location of the dish antenna/ panel box/ dish/ inspection box/ connection box duly marked on town map;
 - (ii) Ownership document or lease deed of the site/ premises, on which dish antenna is proposed to be set up;
 - (iii) Structure safety certificate from the designated institute.
5. **Documents for erection of Ground based mast/Roof top mast/ Communication/Mobile Tower (in addition to those listed at serial number 1 above)**
- (i) Copies of site plan indicating specific area details (in square feet or square meter) required for the manholes, ground based mast/roof top mast/ communication/mobile towers on the land proposed to be taken on lease alongwith the dimensions in each case;
 - (ii) Location of the ground based mast/roof top mast/communication/mobile tower duly marked on the route map, preferably with global positioning system readings/values;
 - (iii) True copy of the approval/ clearance from the Standing Advisory Committee for Frequency Allocation (SACFA) for the said location issued by Wireless Planning and Coordination (WPC) Wing of the Department of Telecommunications, Government of India;
 - (iv) Ownership document or lease deed of the site, on which ground based mast/roof top mast/communication/mobile tower is proposed to be set up;
 - (v) True copy of permission from the Airport Authority of India or any defense establishment in case the height of ground based mast/roof top mast /communication/mobile towers require such approval/clearance;
 - (vi) If the communication/ mobile tower is to be erected on a roof-top, copy of the agreement with the owner of the building and structure safety certificate from a designated institute;
 - (vii) Two sets of the structural drawings of towers with complete details including the specifications of foundation, design parameters, dimensions and type of construction alongwith a structural safety certificate;
 - (viii) Certificate of adherence to the radiation emission norms as prescribed by the Department of Telecommunications, Government of India or any other competent authority;
 - (ix) Data Sheet containing the name of the service/ Infrastructure provider;
 - (x) In case of mobile tower, capacity of towers or antenna in megawatt;
 - (xi) Undertaking that the generator sets installed at the communication/ mobile tower sites/moveable communication towers conform to the noise and emission norms prescribed by the Haryana State Pollution Control Board;
 - (xii) Undertaking that the applicant has taken all precautions for fire safety, lightning etc. and shall obtain necessary permission from the concerned fire Office of the area.

Appendix-B*{See Bye law 4(1)(iii) & 6(ii)}***Schedule of Charges:**

For levy of fee/charges the State has been divided into different zones. The areas forming part of each zone are given below.

| High Potential Zone | Medium Potential Zone | Low Potential Zone |
|---------------------|---|---|
| Sonepat | Kurukshetra, Bahadurgarh, Palwal, Modak, Rewari, Dharuhera, Bawal | All other municipal areas in the state. |

Charges:**(i) Processing fee:**

In case of ground based mast/roof top mast/mobile/communication towers/moveable communication tower/dish antenna processing fee shall be charged at the rate of ₹ 1000/- per tower and in case of underground cable or overhead cable (except micro trenching) it will be ₹ 2/- per route meter.

(ii) Right of use/Right of way charges:

The charges for grant of license for the communication infrastructure shall be payable at the rates given in table below. These charges shall be payable only one time for a period of twenty years or the period of license, whichever is lower. The applicant would be required to pay such one-time charges afresh on completion of the period of initial license/ or on completion of a period of twenty years, whichever is earlier, at the rates applicable at such time.

Charges for license to Right of way/ Right of use (in ₹)

| Sr. No. | Purpose | Zones | | |
|---------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | High Potential Zone | Medium Potential Zone | Low Potential Zone |
| 1. | Laying of Underground optical fibre cable/Co-axial cables except micro trenching (per route meter) | 80/- | 65/- | 50/- |
| 2. | Laying of overhead communication Cables using Poles (per route meter) | 35/- | 25/- | 25/- |
| 3. | For every Pit dug-up, other than a man-hole with spacing of 100 mtrs. centre to centre. (in square meter) | 750/- | 600/- | 500/- |
| 4. | Dish Antenna (other than dish antenna installed under DTH) | ₹5,000/- per dish antenna | | |
| 5. | For every pole erected to lay overhead communication cables (per pole) | 1500/- | 1500/- | 1000/- |
| 6. | Erection of Ground Based Mast/Roof Top Mast (per site) | 75,000/- | 50,000/- | 25,000/- |
| 7. | Erection of mobile/communication towers (per site) | 2,00,000/- | 1,50,000/- | 1,00,000/- |
| 8. | In case Underground optical fibre cable/Co-axial cables are shared (per sharing per route meter) | 20/- | 20/- | 10/- |
| 9. | In case mobile/communication towers are shared (per sharing) | 50,000/- | 50,000/- | 25,000/- |
| 10. | Moveable communication towers mounted on vehicles (per such tower per month) | 40,000/- | 30,000/- | 25,000/- |

(iii) Annual lease charges:

- (a) The annual lease charges in respect of land area used for the construction of manhole, erection of dish antenna/poles/Ground Based Masts/ Roof Top Mast/mobile/communication towers shall be 6% of the applicable collector rates of the land (in ₹ per square meter). The lease charges, initially determined

at the time of grant of license, shall be increased at the rate of 5% every year for a period up to five years. The lease charges will be re-fixed after a period of five years for another block of five years and so on and so forth with reference to the collector rates applicable at the time. The licensee shall also have the option of depositing the lease charges upfront on lump-sum basis for a period of five years calculated at the rates determined initially without any escalation.

- (b) The above lease charges shall be applicable only in respect of the land owned by the municipality. Wherever the applicant proposes to use privately owned land for the said purpose, no lease charges shall be payable to the State Development Agency to that extent and the lease agreements/ charges shall be decided/ settled mutually between the parties. The competent authority shall only ask for the lease agreements between the parties in such cases.

(iv) Performance bank guarantee:

The applicant shall furnish a refundable performance bank guarantee (PBG) towards security for restoration of the sites dug/ used in the process of execution of work. The performance bank guarantee shall be valid for a period of six months over and above the project completion period and shall have to be renewed accordingly in the event of grant of extension of the execution period. The competent authority shall discharge the bank guarantee on satisfactory restoration of the site/area. The performance bank guarantee shall be furnished at the following rates:

| Performance bank guarantee against restoration work (₹ per route meter) | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|
| Performance Bank Guarantee | Cement Concrete Paver Pavements | Cement Concrete Blocks | Metalled Roads/ Pavements | Unpaved (Kutchha) Roads/ Rastas | Others |
| 1 Micro Trenching Method | 50/- | 50/- | 30/- | NA | 20/- |
| 2 Horizontal Directional Drilling Method/ Horizontal Boring Method | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- | 100/- |
| 3 Open Digging Method | Not Allowed | Not allowed | Not Allowed | 500/- | 500/- |

- (a) The amount for performance bank guarantee against restoration shall be reviewed every five years.
- (b) The performance bank guarantee, as a security against satisfactory restoration of sites, shall be valid for a period of six months over and above the project completion period. In case time overruns for completion of the work, the bank guarantee shall be renewed/ got extended by the licensee corresponding to the revised completion period and for six months. The licensee shall obtain formal permission for extension of time from the competent authority.
- (c) The licensee shall report regarding satisfactory completion of restoration of related work sites, which shall be visited/ ascertained by a representative of the municipality within a period of fifteen days of such report. Thereafter, the bank guarantee shall be discharged to the licensee within a period of fifteen days from the date of inspection thereof or within a period of thirty days of submission of the request subject to such restoration work having been carried out to the satisfaction of the said authority.
- (d) The licensee may provide the performance bank guarantee, as applicable for a stretch over which the work is proposed to be undertaken and roll the same over to each of the subsequent stretches, subject to the validity of such performance bank guarantee for the period of execution and for six months.
- (e) In case the work contemplated by the licensee is not completed to the satisfaction of the municipality granting the license, the competent authority may extend the completion period as deemed appropriate, along with extension in bank guarantee. Where the licensee fails to meet his performance obligations in this behalf within the agreed time-frame, the competent authority may en-cash the bank guarantee and undertake restoration of the site on its own at the risk and cost of the licensee.

Appendix-C

*[See Bye-law 9(i)]***1. Location of Ground Based Masts/Roof Top Mast/communication/mobile towers**

The location of Ground Based Mast/Roof Top Mast/communication/mobile towers is important in view of any likely adverse impact of radiation on human health. The infrastructure installed shall conform to the radiation and safety norms prescribed by the Department of Telecommunications, Government of India or the Telecom regulatory authority of India or any other authority in this behalf at all times. Further, the location thereof shall be governed by radio-frequency system adopted by the applicant and shall be allowed subject to the following conditions namely:-

- (i) Location of Ground Based Mast/towers shall be avoided in thickly populated residential areas in so far as feasible. In case it becomes absolutely unavoidable to do so, efforts shall be made to install these structures in the open spaces such as Parks or Green belts available in the residential sectors or open spaces/ fields in rural areas, maintaining a safe distance of about fifty meters from the residential areas.
- (ii) Wherever it is critical to install these communication towers in the populated residential areas and no open spaces are available, the infrastructure provider shall use Micro Cell based stations where there are high number of users.
- (iii) The Ground Based Mast/Roof Top Mast/communication/mobile towers may be installed in the commercial, industrial, institutional zones or in the open areas (except set-back area of the buildings) within the commercial, industrial, institutional sites and fields outside the populated areas.
- (iv) In the case of Roof Top Mast/mobile/communication towers with multiple antennas (per sector), the roof top usage is desirable to be restricted in the residential areas. However, the license to install a mobile/communication tower may be allowed on the roof-tops of commercial or institutional buildings subject to structural safety certificates as issued by the designated institutes specified in these bye-laws.
- (v) The municipality shall endeavor to explore the possibility of identifying suitable spaces within their premises or land as found suitable by the infrastructure provider for the installation of the Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/communication towers. The space for such facilities shall be made available to the applicant on lease basis in accordance with these bye-laws within a period of one month from the date of application, failing which the applicant shall be free to install the said structure at alternate locations/ sites identified by them, subject to the conditions laid down in these bye-laws.
- (vi) All the above conditions pertaining to the location of towers shall also be applicable to the moveable communication towers.
- (vii) The licensee shall ensure that each of the sites of the infrastructure systems, such as Ground Based Mast/Roof Top Mast/towers or any other structure, for which license has been granted, is easily approachable for maintenance and operation.

2. Technical parameters to be followed by the Infrastructure/service providers while laying the cables (over-ground and underground), erection and installation of poles/ dish antennas / Ground Based Masts/ Roof Top Mast/ mobile & communication towers.

(i) Laying of underground cables:—

- (a) The applicant shall undertake communication infrastructure work in a manner so as to cause least public inconvenience. He shall suitably cordon-off the area to ensure public safety and be encouraged to execute the work during off-peak times so as to cause minimum inconvenience to the public. The applicant shall restore the dug up area/site to its original condition simultaneously, clear the area of any unused earth/ debris, and dispose of such debris/ earth at the dumping sites away from the work site as permitted and to the satisfaction of the competent authority.
- (b) The applicant shall carry out ground penetration/ probing radar survey for detection of existing utilities/ services along the route where the cable is proposed to be laid. The data collected in respect of existing utility services through this survey shall be unconditionally shared with the municipality free of any charge.
- (c) As far as possible, the applicant shall carry out the work by using Micro Trenching/ Horizontal Directional Drilling techniques or Horizontal boring methods so as to minimize the damage and to cause minimum inconvenience to public.

- (d) The cable shall ordinarily be laid at the edge of the Right of Way or as permitted/ approved by the competent authority. In case of restricted width of the Right of Way, which may be adequate only to accommodate the carriageways, central verge, shoulders, slopes of embankment and drains, the cables shall be laid beyond the toe-line of the embankments and clear of the drain. Wherever it is found that it is not feasible to lay the cable without adversely impacting the existing utilities/ services, the license may be declined.
- (e) The top of the casing/ conduit pipe containing the cables shall be at least 1.5 meter below the top surface subject to at least 0.3 meter below the drain inverts.
- (f) Pits of 2 meter x 2 meter and 1.5 meter deep, or of lower size shall be made at a distance of 100 meter, centre-to-centre, for laying cables. However, in case of special site conditions, variable depth/ dimensions may be permitted depending on the site conditions.
- (g) Route markers shall be fixed, preferably in steel or concrete, along the route at an interval of 300 meter with clear marking of the ownership and depth of the cable laid.

(ii) Erection of poles for overhead communication cables:—

- (a) License to lay overhead cables shall be restricted.
- (b) The electric poles/towers etc. of power utilities shall not be allowed to lay overhead communication cables.
- (c) Wherever, it is not feasible to avoid laying of overhead cables, the applicant shall take all precautionary measures to maintain the ecosystem and aesthetics of that area.
- (d) The height of the pole shall be such that it does not interfere with the electric cables/ distribution transmission system and minimum distance between two poles shall be forty meters.
- (e) Subject to availability, a maximum 1.0 meter x 1.0 meter space shall be made available for erection of the pole at a minimum distance of 0.3 meter from the edge of the walkway of road (road berm) and shall be installed in cement-concrete foundation.
- (f) The sag of cable shall be such that it does not interfere with the movement of vehicles.

(iii) Ground based Masts/ Roof Top Mast:—

The maximum height of Ground Based Mast/ Roof Top Mast shall not exceed 30 meters from the adjoining ground level and distance between two masts shall not be less than 150 meters in line of sight to the extent feasible.

(iv) Mobile/communication towers:-

The height of the mobile/communication tower from the adjoining ground level shall not exceed 75 meters subject to clearance from the defense and civil aviation authorities. Erection of the mobile/ communication towers shall be avoided in narrow lanes (< 5 meter). However, in the case of moveable communication towers, the maximum permissible height shall be 21 meter.

3. Other terms and conditions to be adhered to by the licensee while laying the cables (over-ground and underground), erection of poles / dish antennas / Ground Based Masts/ Roof Top Mast/mobile/ communication towers.

- (i) The terms and conditions/ guidelines issued/ notified by the Department of Telecommunications, Government of India in respect of any condition applicable to the licensee, as amended from time to time, shall be applicable and binding in all cases.
- (ii) The license to lay underground/ over-head communication/ connectivity infrastructure shall not be granted, where it causes disruption to public services and facilities, obstruction/ hindrance to the pedestrian movement or vehicular traffic. The principle of public convenience and safety shall over-ride all other considerations. However, the competent authority may grant license in extreme criticality only if the applicant offers to suitably adjust and/ or realign such services at his own cost without any adverse impact on the public services, to the satisfaction of the competent authority.
- (iii) In the case of Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/communication towers, license shall not be granted, if any building is found in front of the Antenna within the safe distance in meter as mentioned

below:—

| Sr. No. | Number of multiple antennas | Building /structure distance from the antenna (safe distance in meter). |
|---------|-----------------------------|---|
| 1. | 2 | 35 |
| 2. | 4 | 45 |
| 3. | 6 | 55 |
| 4. | 8 | 65 |
| 5. | 10 | 70 |
| 6. | 12 | 75 |

- (iv) The licensee, shall be responsible to get the required technical safety checks of the Ground Based Mast/ Roof Top Mast/mobile/ communication towers from the designated institute and shall submit the report to the competent authority.
- (v) The licensee must get the radiation levels checked at regular intervals during the operation and maintenance period from any authorized authority and submit the conformance report to the competent authority. In the absence of such report, the competent authority may ask for such tests at the costs of the licensee. Non-compliance with the radiation emission standards shall attract penalties as prescribed by the Department of Telecommunications, Government of India from time to time and cancellation of license.
- (vi) The licensee shall be solely responsible for any damage to the building, adjoining buildings and to the public.
- (vii) Lightning arresters provided at the top of the Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/communication tower, shall be of adequate height so that all protruding antennas hoisted on the mast are protected within its conical safety zone.
- (viii) Aviation warning lights installed at the top of the Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/ communication towers shall be as per International Civil Aviation Organization's guidelines and shall be checked regularly for good operating conditions.
- (ix) The earth resistance of the Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/ communication towers should be maintained within the prescribed range and shall be checked periodically every year.
- (x) The licensee shall also be responsible to get the required checks of such communication infrastructure at regular intervals from any Government approved agency and shall submit the report to the competent authority.
- (xi) The optic fibre cable/ communication cables shall not be brought into use by the licensee unless a completion certificate is obtained to the effect that the telecom cables/ ducts/ manholes have been laid in accordance with the approved specifications and drawings and the pits have been filled-up to the satisfaction of the concerned authority.
- (xii) In case of any shifting or change in alignment in the already laid optic fibre cable/ other communication cables/ Ground Based Masts/ Roof Top Mast/ mobile/ communication towers is necessitated due to widening of roads/ construction of flyovers or public building the licensee shall be bound to do the same at his own cost within the period specified by the respective authority. If the licensee fails to comply with this condition to the satisfaction of the said authority, the same shall be got executed by the said authority at the risk and cost of the licensee. The charges so incurred on this account shall be recoverable from the licensee.

- (xiii) In case of removal of already laid optic fibre cable/ other communication cables/ Ground Based Masts/ Roof Top Mast/ mobile/ communication towers on expiry of licence period granted, the licensee shall be bound to do the same at his own cost within the period specified by the competent authority. If the licensee fails to comply with this condition to the satisfaction of the competent authority, the same shall be got executed by the competent authority at the risk and cost of the licensee. The charges so incurred on this account shall be recoverable from the licensee.
- (xiv) In order to avoid repeated digging on the same routes, the licensee may voluntarily lay extra ducts / conduits with redundant capacity so as to take care of any future needs. However, the creation of excess capacity shall not be a pre-condition for giving Right of Way license.
- (xv) The licensee shall ensure safety and security of all underground installations/ utilities/ facilities and shall be solely responsible for compensation/ indemnification to concerned authority for damage caused/ claims or replacements sought for at the cost and risk of licensee to the concerned authority.
- (xvi) The extent of the digging trenches shall be strictly regulated so that the cables are laid and trenches are filled up before the close of the work for that day. Filling should be to the satisfaction of the State Development Agency.
- (xvii) The licensee shall not undertake any work of shifting, repair or alterations of the said cables/communication cables without the prior permission of the nodal officer in writing. The licensee shall be liable to give a notice of fifteen days with route/ location details, prior to digging for fresh/ maintenance/ repair works.
- (xviii) The licensee shall make his own arrangement for crossing of cross drainage structures, rivers, etc. below the bed. In case, this is not feasible, the cables/ ducts may be carried outside the railings/parapets and supported on brackets fixed to the outside of the bridge super-structure. The fixing and supporting arrangement with all details shall be got approved in advance from the concerned authority granting such permission. Additional cost on account of fixing and supporting arrangement, as assessed by such authority, shall be payable by the licensee. If the licensee fails to comply with this condition to the satisfaction of the authority, the same shall be got executed by the authority at the risk and cost of the licensee and the cost so incurred on this account shall be recoverable from the licensee.
- (xix) In case of any damage to the essential services i.e. water supply, sewerage system and telecommunication lines, electricity supply etc., it shall be the responsibility of the licensee to get the services restored to their original and satisfactory condition at his own cost.
- (xx) Municipality shall not be responsible for any damage to optic fibre cable and resultant losses, if any, during performance of official duties by any employee of municipality.
- (xxi) The licensee shall have to provide barricade, danger lights and other necessary caution boards while executing the work.
- (xxii) If any traffic diversion is found necessary during the working period, such diversion shall be provided by the licensee at his cost.
- (xxiii) The competent authority may effect a modification/alteration in the site plan/ route, if necessary, in the interest of public safety.
- (xxiv) The communication infrastructure shall not be shared/sub-let, without the permission of the competent authority and payment of sharing charges.
- (xxv) The licensee shall abide by all the terms and conditions laid in these bye-laws.
- (xxvi) Any dispute arising between the signatories to an agreement under these bye-laws shall be settled / resolved in accordance with the procedures outlined in the agreement i.e. all the disputes shall be settled at Chandigarh. In case of breach of any of the clauses of the agreement, the competent authority shall be entitled to terminate the contract after giving a show cause notice of fifteen days. An officer of the rank of Administrative Secretary, (to be nominated by the Government of Haryana) shall act as an Arbitrator to whom the dispute shall be referred to and the decision of the Arbitrators shall be final and binding on both the parties.

Appendix-D*(See Bye-law 12)***An illustrative list of facilities as part of the Corporate Social Responsibility**

1. Development and maintenance of public parks/roundabouts within the jurisdiction of the municipality, where the services are rolled out. In such cases, the competent authority shall permit the infrastructure provider to display its board/ credit for the same as mutually decided/ agreed.
2. Free-of-charge use of poles erected by the licensee for provision of street lights/ LED solar lights on the poles (with or without supply of the fixtures) for provision of the facility of street lighting in a defined area.
3. Provision of bandwidth/ internet connectivity, free or at discounted rates, to the local authority for its office and other community service centers, by whatever name called, for e-delivery of citizen services.
4. Provide computing hardware (two desktops of latest configuration with laser printer, webcam, head phone and mike, computer furniture, online UPS etc.) for at least ten village information centers/ citizen service centers in the area where the applicant rolls out his services.
5. Sponsorship of certain number of community service centers for e-delivery of citizen services for a particular period.
6. Establish training/ skill development facilities and operation and management of such skill development centres for an agreed period, for capacity building of the low income groups for improving employment prospect.
7. Free-of-cost supply and installation of surveillance cameras on the towers to be put up on public land. These cameras shall be connected to the designated police control rooms in the cities and the connectivity may be provided free of cost or at a discounted price for the agreed period.

Appendix-E

[See Bye-law 6(iii)]

FORM FOR AGREEMENT

This agreement, made on the _____ day of _____ two thousand _____ between the Governor of Haryana acting through Deputy Commissioner of the one part.

AND

(Name of applicant) hereinafter called "the licensee" of the other part who has applied to the competent authority for permission to lay underground cables/Micro Trenching/ erection of poles for overhead cables/ Ground Based Mast/ Roof Top Mast/mobile/communication/moveable tower/sharing of communication/ infrastructure.

WHEREAS, the competent authority, has agreed to grant such license as per the terms and conditions contained in the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and the Haryana Municipal (Communication and Connectivity Infrastructure) Bye-laws, 2013 made thereunder; hereinafter referred as the Act and Bye-laws.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:—

In consideration of the competent authority agreeing to grant license to the licensee to lay/erect _____ on the fulfillment of all the conditions by the licensee, the licensee hereby convenance as follows:

1. That the licensee shall execute the work as per the time-frame.
2. That the licensee, shall be responsible to get the required technical safety check of the Ground Based Mast/ Roof Top Mast/mobile/communication towers from the designated institute and shall submit the report to the competent authority.
3. That the licensee shall get the radiation levels checked at regular intervals during the operation and maintenance period from any authorised authority and submit the conformance report to the concerned authority. In the absence of such report, the competent authority may ask for conducting such tests at the cost of the licensee. Non-compliance with the radiation emission standards shall attract penalties as prescribed by the Department of Telecommunications, Government of India from time to time and cancellation of license.
4. That the licensee shall be solely responsible for any damage to the building, adjoining buildings and to the public.
5. That the lightning arresters and aviations lights (as per International standards) be provided at the top of the Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/communication tower.
6. That the earth resistance of the Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/ communication towers shall be maintained within the prescribed range and shall be checked periodically every year.
7. That the licensee shall also be responsible to get the required checks of such communication infrastructure done at regular intervals from any State Government approved agency and shall submit the report to the competent authority.
8. That the licensee shall not use the optic fibre cable/ communication cables unless a completion certificate is obtained to the effect that the Telecom cables/ ducts/manholes have been laid in accordance with the approved specifications and drawings and the pits have been filled-up to the satisfaction of the concerned authority.
9. That the licensee shall carry out the shifting or change in alignment of the already laid optic fibre cable/ other communication cables/ Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/ communication towers if necessitated due to widening of roads/ construction of flyovers or public buildings at his own cost within the period specified by the respective authority.
10. That the licensee shall remove already laid optic fibre cable/ other communication cables/ Ground Based Mast/Roof Top Mast/mobile/ communication towers on the expiry of licence period granted at his own cost within the period specified by the respective authority.

11. That the licensee shall ensure safety and security of all underground installations/ utilities/ facilities and shall be solely responsible for compensation/ indemnification of concerned authority for damage caused/ claims or replacements sought for at the cost and risk of the licensee to the concerned authority.
12. That the licensee shall not undertake any work of shilling, repair or alterations to the said cables / communication cables without the prior permission of the concerned authorities in writing.
13. That in case of any damage to the essential services i.e. water supply, sewerage system and telecommunication lines, electricity supply etc., it shall be the responsibility of the licensee to get the services restored to their original and satisfactory condition at his own cost.
14. That the municipality shall not be responsible for any damage to Optic fibre cable and resultant losses, if any, during performance of official duties by any employee of municipality.
15. That the licensee shall have to provide all safety measures like barricades, danger lights, caution boards, etc while executing the work.
16. That the communication infrastructure shall not be shared/sub-let, without the permission of the competent authority and payment of sharing charges.
17. That in case of breach of any of the clauses of the agreement, the competent authority shall be empowered to terminate the contract after giving a show cause notice of fifteen days.
18. That in case of violation of any terms and conditions the license granted can be withdrawn and cancelled at any time, such licensee shall neither be entitled for any compensation or any loss caused to it by such cancellation.
19. That an officer of the rank of Principal Secretary to be nominated by the Government shall act as Arbitrator to whom the matter shall be referred to and the decision of the Arbitrator shall be final and binding on both the parties.

In witnesses whereof the parties hereto have hereunto set their respective hands the day and the year first above written.

This agreement has been executed in duplicate and each party to this agreement has retained one stamped copy each.

SIGNED AND DELIVERED BY
(Competent Authority)

Signature
Name & Designation
Address

SIGNED AND DELIVERED BY
(On behalf of licensee)

Signature
Name & Designation
Address

in the presence of

Signature
Name & Designation
Address

in the presence of

Signature
Name & Designation
Address

P. RAGHAVENDRA RAO,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.